

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-235

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली कटौती या बाधित होना

235. श्रीमती अपराजिता सारंगी:  
श्री प्रदीप कुमार सिंह:  
श्री संगम लाल गुप्ता:  
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:  
श्री विष्णु दयाल राम:  
श्री नारणभाई काछड़िया:  
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:  
श्री पी. पी. चौधरी:  
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:  
श्री एस.सी. उदासी:  
श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बिजली कटौती के राज्य-वार संचित घंटों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में राज्य-वार बिजली कटौती के संचित घंटों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार बिजली कटौती के संचित घंटों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) उक्त अवधि के दौरान महानगरों में नगर-वार बिजली कटौती के संचित घंटों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक बिजली कटौती के प्रमुख कारणों का पता लगाया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने देश में बिजली कटौती की घटना को कम करने हेतु कोई उपाय किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : देश में विद्युत की कोई कमी नहीं है। स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता वर्ष 2015 में औसतन 12 घंटे से बढ़कर वर्ष 2020 में 20.50 घंटे हो गई है; तथा शहरी क्षेत्रों

में विद्युत की उपलब्धता बढ़कर 22.23 घंटे हो गई है। जून, 2021 में, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की औसत उपलब्धता 22.17 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 23.36 घंटे थी। जहां तक झारखंड राज्य का संबंध है, स्वतंत्र सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि ग्रामीण विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे वर्ष 2015 में 9 घंटे से बढ़कर वर्ष 2020 में 16 घंटे हो गए हैं। राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) पर विभिन्न यूटिलिटियों द्वारा संचारी फीडरों पर डाले गए आंकड़ों के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती के औसत घंटों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** तथा विद्युत कटौती के औसत घंटों के शहर-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

विद्युत आपूर्ति में बाधाएं सामान्यतः वितरण नेटवर्क में बाधाओं, अथवा कुछ वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत के लिए भुगतान करने हेतु धनराशि न होने के कारण वित्तीय बाधाओं के कारण होती हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत समवर्ती सूची का विषय है तथा सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति/वितरण संबंधित राज्य सरकारों और/ अथवा राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करती रही है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण और संवर्धन के लिए दिसंबर, 2014 में डीडीयूजीजेवाई स्कीम अधिसूचित की गई थी। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, झारखंड के लिए 4799.81 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए थे, जिसमें से दिनांक 31.12.2021 तक 2397.44 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.12.2014 को शहरी क्षेत्रों में विद्युत उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए आईपीडीएस स्कीम अधिसूचित की गई थी। आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) को आईपीडीएस के अंतर्गत समाहित किया गया था। आईपीडीएस के अंतर्गत, झारखंड के लिए 755 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए थे, जिसमें से दिनांक 17.01.2022 तक 380 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 235 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

| एनपीपी पर यथा उपलब्ध पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अक्टूबर, 2021 (एचएच.एच.एच.) तक एक वर्ष में विद्युत कटौती के राज्य-वार औसत घंटे |                  |         |        |         |        |         |        |                             |        |
|--|------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------------------------|--------|
| दिनांक 28.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार   |                  |         |        |         |        |         |        |                             |        |
| क्रम सं.   | राज्य का नाम     | 2018-19 |        | 2019-20 |        | 2020-21 |        | 2021-22<br>(अक्टूबर, 21 तक) |        |
|  |                  | ग्रामीण | शहरी   | ग्रामीण | शहरी   | ग्रामीण | शहरी   | ग्रामीण                     | शहरी   |
| 1  | आंध्र प्रदेश     | 687.42  | 12.17  | 134.20  | 30.50  | 121.67  | 36.50  | 76.37                       | 23.32  |
| 2  | अरुणाचल प्रदेश # | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 462.33 | 0.00                        | 154.23 |
| 3  | असम #            | 0.00    | 97.33  | 0.00    | 73.2   | 0.00    | 0.00   | 0.00                        | 66.32  |
| 4  | बिहार            | 1015.92 | 0.00   | 786.90  | 317.20 | 772.58  | 225.08 | 779.65                      | 94.02  |
| 5  | छत्तीसगढ़        | 0.00    | 85.17  | 0.00    | 6.10   | 0.00    | 6.08   | 539.40                      | 50.45  |
| 6  | दिल्ली*          |         |        |         |        |         |        | 0.00                        | 1.27   |
| 7  | गोवा#            | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 457.50 | 0.00    | 97.33  | 0.00                        | 53.39  |
| 8  | गुजरात           | 79.08   | 18.25  | 323.30  | 18.30  | 97.33   | 18.25  | 46.63                       | 12.39  |
| 9  | हरियाणा          | 1599.92 | 261.58 | 1744.60 | 268.40 | 1478.25 | 219.00 | 1014.37                     | 84.04  |
| 10   | हिमाचल प्रदेश    | 2986.92 | 0.00   | 3056.10 | 54.90  | 2980.83 | 54.75  | 2562.55                     | 19.90  |
| 11   | जम्मू और कश्मीर  | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 736.08 | 0.00                        | 257.64 |
| 12   | झारखंड \$        | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 164.70 | 0.00    | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
| 13   | कर्नाटक          | 2323.83 | 24.33  | 2482.70 | 61.00  | 1758.08 | 54.75  | 1082.40                     | 26.64  |
| 14   | केरल \$          | 1015.92 | 0.00   | 744.20  | 6.10   | 1095.00 | 30.42  | 670.12                      | 17.23  |
| 15   | मध्य प्रदेश      | 243.33  | 109.50 | 353.80  | 54.90  | 492.75  | 24.33  | 228.20                      | 23.50  |
| 16   | महाराष्ट्र       | 0.00    | 18.25  | 1299.30 | 12.20  | 1107.17 | 6.08   | 277.15                      | 4.16   |
| 17   | मेघालय           | 0.00    | 18.25  | 0.00    | 6.10   | 0.00    | 24.33  | 0.00                        | 18.65  |
| 18   | मणिपुर #         |         |        |         |        |         |        | 0.00                        | 74.91  |
| 19   | मिजोरम #         | 0.00    | 97.33  | 0.00    | 122.00 | 0.00    | 73.00  | 0.00                        | 28.09  |
| 20   | नागालैंड #       | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 183.00 | 0.00    | 462.33 | 0.00                        | 88.81  |
| 21   | ओडिशा \$         | 1411.33 | 0.00   | 1457.90 | 128.10 | 997.67  | 54.75  | 29.38                       | 58.96  |
| 22   | पुदुचेरी \$      | 693.50  | 0.00   | 1299.30 | 0.00   | 310.25  | 0.00   | 564.45                      | 0.00   |
| 23   | पंजाब \$         | 267.67  | 79.08  | 305.00  | 103.70 | 511.00  | 85.17  | 302.40                      | 79.26  |
| 24   | राजस्थान         | 985.50  | 30.42  | 988.20  | 42.70  | 961.17  | 6.08   | 468.12                      | 23.53  |
| 25   | तमिलनाडु \$      | 1180.17 | 0.00   | 1110.20 | 12.20  | 906.42  | 0.00   | 226.77                      | 0.00   |
| 26   | तेलंगाना         | 711.75  | 0.00   | 652.70  | 30.50  | 675.25  | 30.42  | 469.50                      | 16.65  |
| 27   | त्रिपुरा #       | 1575.58 | 0.00   | 1628.70 | 0.00   | 1624.25 | 6.08   | 223.33                      | 18.98  |
| 28   | उत्तर प्रदेश \$  | 1788.50 | 310.25 | 2549.80 | 158.60 | 2761.83 | 91.25  | 1749.57                     | 92.00  |
| 29   | उत्तराखंड        | 949.00  | 194.67 | 854.00  | 219.60 | 742.17  | 127.75 | 562.83                      | 98.77  |
| 30   | पश्चिम बंगाल \$  | 2123.08 | 12.17  | 341.60  | 12.20  | 340.67  | 6.08   | 47.30                       | 45.80  |

टिप्पणी 1 एनपीपी पर राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती आंकड़े। कटौती अवधि में नियोजित और अनियोजित कटौती अवधि दोनों शामिल हैं।

टिप्पणी 2 # केवल शहरी आंकड़े उपलब्ध हैं।

टिप्पणी 3\$ राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अक्टूबर, 2021 तक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

टिप्पणी 4 सूची में शामिल नहीं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनपीपी पर मानचित्रित नहीं किया गया है।

टिप्पणी 5\* दिल्ली को अप्रैल, 2021 में एनपीपी में शामिल किया गया है। अतः एनपीपी पर पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 235 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

| एनपीपी पर यथा उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 (अक्टूबर-21 तक) (एचएच.एचएच) के लिए एक वर्ष में शहर-वार विद्युत कटौती के औसत घंटे |              |               |         |                            |
|---|--------------|---------------|---------|----------------------------|
| दिनांक 28.01.2022 की स्थिति के अनुसार   |              |               |         |                            |
| क्रम सं.  | राज्य का नाम | मेट्रो शहर    | 2020-21 | 2021-22<br>(अक्टूबर-21 तक) |
| 1   | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम  | 16.79   | 18                         |
| 2   | बिहार        | पटना #        | 4.19    | 30.59                      |
| 3   | छत्तीसगढ़    | रायपुर #      | 26.57   | 22.92                      |
| 4   | गुजरात       | अहमदाबाद #    | 28.59   | 11.33                      |
| 5   | गुजरात       | सूरत          | 12.47   | 9.2                        |
| 6   | कर्नाटक      | बैंगलुरु      | 25.22   | 14.97                      |
| 7   | महाराष्ट्र   | मुंबई उपनगरीय | 23.09   | 6.42                       |
| 8   | महाराष्ट्र   | नागपुर        | 18.85   | 5.18                       |
| 9   | महाराष्ट्र   | पुणे          | 19.17   | 6.42                       |
| 10  | राजस्थान     | जयपुर #       | 46.88   | 17.05                      |
| 11  | राजस्थान     | जोधपुर #      | 0       | 0                          |
| 12  | तमिलनाडु     | चेन्नई #      | 3.06    |                            |
| 13  | तमिलनाडु     | मदुरै #       | 13.78   |                            |
| 14  | तेलंगाना     | हैदराबाद*     |         |                            |
| 15  | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर #     | 140.61  | 107.24                     |
| 16  | उत्तर प्रदेश | कानपुर नगर #  | 57.75   | 13.65                      |
| 17  | उत्तर प्रदेश | लखनऊ #        | 7.3     | 1.82                       |
| 18  | पश्चिम बंगाल | कोलकाता*      |         |                            |
| 19  | तमिलनाडु     | कोयंबटूर*     |         |                            |
| 20  | केरल         | कोच्चि #      | 19.35   |                            |
| 21  | केरल         | कोझीकोड #     | 14.84   |                            |
| 22  | तमिलनाडु     | सलेम*         |         |                            |
| 23  | केरल         | तिरुवनंतपुरम  | 5.94    |                            |
| 24  | दिल्ली       | दिल्ली*       |         | 1.27                       |

टिप्पणी 1 \*मेट्रो शहरों ने एनपीपी पर आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।

टिप्पणी 2 # मेट्रो शहरों ने एनपीपी पर अक्टूबर, 2021 तक आंशिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

टिप्पणी 3 सूची में शामिल नहीं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनपीपी पर मानचित्रित नहीं किया गया है।

टिप्पणी 4 \*दिल्ली को अप्रैल, 2021 में एनपीपी में शामिल किया गया है। अतः एनपीपी पर पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-250

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना

250. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव:  
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:  
श्री एन. रेड्डीप्प:  
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:  
श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पिछले वर्ष के बजट में घोषित महत्वपूर्ण विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए तीन विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश राज्य में तीन प्रस्तावित महत्वपूर्ण विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्रों में से एक को स्थापित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए 3 विनिर्माण क्षेत्रों में से, वित्त मंत्रालय द्वारा 400 करोड़ रुपये के सांकेतिक परिव्यय के भीतर शुरुआत में प्रायोगिक के रूप में एक विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना के लिए स्थान का चयन पूर्व-अभिचिह्नित मानदंडों के आधार पर होगा और सभी राज्य या स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (एसपीवी) चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-257

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

एनएचपीसी की नई परियोजनाएं

257. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) एनएचपीसी को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) एनएचपीसी द्वारा शुरू की जा रही नई परियोजनाओं की सूची क्या है;
- (ग) क्या एनएचपीसी के बोर्ड के किसी वर्तमान सदस्य को अंतिम सतर्कता स्वीकृति मिलने में विलंब हुआ है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सतर्कता स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और
- (ङ) यदि अभी तक सतर्कता स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है तो क्या ऐसी स्थिति में भी वे सदस्य अपना कार्यभार जारी रख सकते हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने जल विद्युत क्षेत्र, एनएचपीसी लिमिटेड के कार्यक्षेत्र के सुदृढीकरण और सशक्तीकरण के लिए कई उपाय और उपक्रम किए हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, विद्युत मंत्रालय ने 8 मार्च, 2019 को जल विद्युत क्षेत्र के संवर्धन के लिए निम्नलिखित उपाय अधिसूचित किए:

- क. बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (>25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना।
- ख. गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्वों के भीतर एक पृथक संस्था के रूप में जल विद्युत क्रय दायित्व।
- ग. जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तीकरण उपाय।
- घ. बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता।
- ङ. समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों की लागत हेतु बजटीय सहायता।

विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.01.2021 को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2029-30 की अवधि के लिए जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) ट्रेजेक्टरी अधिसूचित की गई है।

ये उपाय विशेष रूप से जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए लाभकारी होंगे जो प्रायः दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होती हैं और परियोजना स्थल तक भारी, बड़े आकार के उपस्करों एवं मशीनरी के परिवहन के लिए सड़कों, पुलों आदि जैसी सुविस्तृत सहयोगी अवसंरचना का विकास आवश्यक होता है।

उपर्युक्त के साथ-साथ, एनएचपीसी की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लंबित अनुमोदनों/स्वीकृतियों में तेजी लाने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के साथ उनके सरोकारों पर ध्यान देने के लिए नियमित अंतराल पर चर्चा की जाती है।

जल विद्युत परियोजना अनुबंधों में विवादों के समाधान के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय ने स्वतंत्र अभियंताओं को पैनलबद्ध किया है जो एनएचपीसी लिमिटेड सहित जल विद्युत सीपीएसयूज के मामलों के प्रभावी समाधान में सहायता करेंगे, इस प्रकार परियोजनाओं में समय और लागत आधिक्य कम होगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने विवादों के समाधान के लिए विद्युत मंत्रालय के सीपीएसईज तथा सांविधिक निकायों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की समाधान समिति के लिए फ्रेमवर्क भी जारी किया है।

**(ख) :** इस समय, **अनुबंध-क** पर दिए गए ब्यौरे के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड के 7071.20 मेगावाट की सकल संस्थापित क्षमता के 24 विद्युत केंद्र प्रचालनाधीन हैं और 5999 मेगावाट की सकल संस्थापित क्षमता की 09 परियोजनाएं (संयुक्त उद्यमों सहित) निर्माणाधीन हैं।

एनएचपीसी द्वारा शुरू की जा रही नई परियोजनाओं के संबंध में, 7342 मेगावाट की सकल संस्थापित क्षमता की 08 परियोजनाएं (संयुक्त उद्यम परियोजनाओं सहित) स्वीकृति चरण में हैं और 1130 मेगावाट की सकल संस्थापित क्षमता की 03 जल विद्युत परियोजनाएं सर्वेक्षण एवं अन्वेषणाधीन हैं। इन परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-ख** पर संलग्न है।

**(ग) और (घ) :** वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड के संबंध में, उनके स्थायीकरण प्रयोजनार्थ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से सतर्कता मंजूरी अपेक्षित है।

**(ङ) :** बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के स्थायीकरण के संबंध में, पीईएसबी द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के संबंधित खंड **(अनुबंध-ग)** निम्नानुसार हैं:

- i. कोई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशक, एक वर्ष समाप्त होने के बाद 30 दिन के भीतर, जब तक कि मंत्रालय/विभाग द्वारा, पीईएसबी को इसके विपरीत कोई प्रस्ताव न भेजा जाए, स्थायी मान लिया जाएगा।
- ii. इस एक वर्ष और 30 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर अधिकारी को स्थायी मान लिया जाएगा और, यदि मंत्रालय पीईएसबी को इसके विपरीत प्रस्ताव भेजने में विफल रहता है तो, मंत्रालय स्थायीकरण के आवश्यक आदेश जारी करेगा।

तथापि, पीईएसबी के दिनांक 02.12.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/07/2010-प्रेस **(अनुबंध-घ)** के अनुसार, बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को स्थायी करने के मामले को प्रक्रियाबद्ध करने से पहले सीवीसी से सतर्कता मंजूरी अपेक्षित है।

वर्तमान अधिकारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग से आवश्यक सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने के बाद विद्युत मंत्रालय के दिनांक 24 फरवरी, 2020 के आदेश द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड के रूप में नियुक्त किया गया था।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 257 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

प्रचालन के अंतर्गत एनएचपीसी विद्युत स्टेशन

| क्रम सं.                                  | विद्युत स्टेशन                                    | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|----------------------------|
| <b>जल विद्युत</b>                         |   |                            |
| <b>हिमाचल प्रदेश</b>                      |   |                            |
| 1   | बैरा सुअल   | 180                        |
| 2   | चमेरा-I   | 540                        |
| 3   | चमेरा-II  | 300                        |
| 4   | चमेरा-III   | 231                        |
| 5   | पार्वती-III                                       | 520                        |
| कुल                                       |   | 1771                       |
| <b>संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर</b> |   |                            |
| 6   | सलाल  | 690                        |
| 7   | उरी-I   | 480                        |
| 8   | दुलहस्ती  | 390                        |
| 9   | सेवा-II   | 120                        |
| 10  | उरी-II  | 240                        |
| 11  | किशनगंगा  | 330                        |
| कुल                                       |   | 2250                       |
| <b>संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख</b>           |   |                            |
| 12  | चुतक  | 44                         |
| 13  | निमो बैजगो  | 45                         |
| कुल                                       |   | 89                         |
| <b>मणिपुर</b>                             |   |                            |
| 14  | लोकटक   | 105                        |
| <b>उत्तराखंड</b>                          |   |                            |
| 15  | टनकपुर  | 94.2                       |
| 16  | धौलीगंगा-I  | 280                        |
| कुल                                       |   | 374.2                      |
| <b>सिक्किम</b>                            |   |                            |
| 17  | रंगित   | 60                         |
| 18  | तीस्ता-V  | 510                        |
| कुल                                       |   | 570                        |
| <b>पश्चिम बंगाल</b>                       |   |                            |
| 19  | तीस्ता लो डैम-III                                 | 132                        |
| 20  | तीस्ता लो डैम -IV                                 | 160                        |
| कुल                                       |   | 292                        |
| <b>मध्य प्रदेश</b>                        |   |                            |
| 21  | इंदिरा सागर (एनएचपीसी- एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम) | 1000                       |
| 22  | ओंकारेश्वर (एनएचपीसी- एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम)  | 520                        |
| कुल                                       |   | 1520                       |
|   |   | जल विद्युत                 |
|   |   | 6971.2                     |
| <b>नवीकरणीय ऊर्जा</b>                     |   |                            |
| 1   | तमिलनाडु सौर विद्युत                              | 50                         |
| 2   | जैसलमेर पवन विद्युत                               | 50                         |
| कुल योग (24 विद्युत स्टेशन)               |   | 7071.2                     |



**निर्माणाधीन एनएचपीसी परियोजनाएं**

| क्रम सं.                                  | परियोजना   | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) |
|---|--|----------------------------|
| <b>एनएचपीसी - स्वामित्व</b>               |  |                            |
| <b>जल विद्युत</b>                         |  |                            |
| <b>हिमाचल प्रदेश</b>                      |  |                            |
| 1   | पार्वती-II   | 800                        |
| <b>अरुणाचल प्रदेश/असम</b>                 |  |                            |
| 1   | सुबानसिरी लोअर   | 2000                       |
| <b>ओडिशा</b>                              |  |                            |
| 1   | ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट, ओडिशा  | 40                         |
| <b>संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां</b>       |  |                            |
| <b>जल विद्युत</b>                         |  |                            |
| <b>संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर</b> |  |                            |
| 1   | पाकल दुल (संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर) (सीवीपीपीएल- एनएचपीसी का जेवी) | 1000                       |
| 2   | किरू (संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर) (सीवीपीपीएल- एनएचपीसी का जेवी)     | 624                        |
| 3   | रतले (संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर) (सीवीपीपीएल- एनएचपीसी का जेवी)     | 850                        |
|   | <b>कुल</b>   | <b>2474</b>                |
| <b>सिक्किम</b>                            |  |                            |
| 1   | तीस्ता-VI (सिक्किम) (एलटीएचपीएल-एनएचपीसी की सहायक कंपनी)                     | 500                        |
| 2   | रंगित-IV (जेपीसीएल-एनएचपीसी की सहायक कंपनी)                                  | 120                        |
|   | <b>कुल</b>   | <b>620</b>                 |
| <b>उत्तर प्रदेश</b>                       |  |                            |
| 1   | कालपी सोलर (यूपी) (बीएसयूएल - एनएचपीसी की सहायक कंपनी)                       | 65                         |
|   | <b>कुल योग</b>   | <b>5999</b>                |

**पार्वती-II:** यूनिट-I और यूनिट-II को दिनांक 05.07.2019 और दिनांक 06.07.2019 को पार्ट लोड पर ग्रिड के साथ फिर से सिंक्रोनाइज़ किया गया है। यूनिट-III और यूनिट-IV का दिनांक 28.09.2019 को उत्तरी ग्रिड के साथ परीक्षण सिंक्रोनाइज़ किया गया है।

**\$40 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट, ओडिशा:** परियोजना कार्यों को दिनांक 24.05.2021 को अवार्ड कर दिया गया है।

**#रतले:** 03.01.2021 को पूरक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्रिमंडल ने दिनांक 11.02.2021 को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी है। जेवीसी को दिनांक 01.06.2021 को निगमित किया गया है।

**##रंगित-IV:** विद्युत मंत्रालय ने मैसर्स जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) के अधिग्रहण और एनएचपीसी द्वारा अक्टूबर, 2019 के मूल्य स्तर पर 938.29 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सिक्किम में रंगित-IV जल विद्युत परियोजनाओं के शेष कार्यों के निर्माण हेतु निवेश अनुमोदन के लिए भारत सरकार का अनुमोदन दिनांक 30.03.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया है।

**###कालपी सोलर (यूपी):** दिनांक 17.03.2021 को परियोजना कार्यों के अवार्ड कर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 257 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**एनएचपीसी परियोजनाओं को मंजूरी का इंतजार**

| क्रम सं.                           | परियोजना                  | राज्य                              | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>क- जल विद्युत</b>               |                           |                                    |                            |
| <b>स्टैंड-अलोन एनएचपीसी</b>        |                           |                                    |                            |
| 1                                  | तीस्ता-IV                 | सिक्किम                            | 520                        |
| 2                                  | दिबांग                    | अरुणाचल प्रदेश                     | 2880                       |
| 3                                  | सावलकोट*                  | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर | 1856                       |
| 4                                  | दुगार                     | हिमाचल प्रदेश                      | 500                        |
|                                    | <b>उप-जोड़</b>            |                                    | <b>5756</b>                |
| <b>संयुक्त उद्यम की परियोजनाएं</b> |                           |                                    |                            |
| <b>जल विद्युत (भारत में)</b>       |                           |                                    |                            |
| 5                                  | क्वार                     | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर | 540                        |
| 6                                  | किरथाई-II*                | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर | 930                        |
| 7                                  | लोकटक डी/एस               | मणिपुर                             | 66                         |
|                                    | <b>उप-जोड़ (जेवी)</b>     |                                    | <b>1536</b>                |
|                                    | <b>कुल जल विद्युत (क)</b> |                                    | <b>7292</b>                |
| <b>ख- सौर (एनएचपीसी)</b>           |                           |                                    |                            |
| 8                                  | फ्लोटिंग सोलर परियोजना    | वेस्ट कल्लदा, केरल                 | 50                         |
|                                    | <b>कुल सौर (ख)</b>        |                                    | <b>50</b>                  |
|                                    | <b>कुल योग</b>            |                                    | <b>7342</b>                |

\* जम्मू और कश्मीर में किरथाई-II, सावलकोट, उरी-I (चरण-II), दुलहस्ती (चरण-II) जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जल विद्युत परियोजनाएं के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक 03.01.2021 को हस्ताक्षर किए गए।

**एनएचपीसी - सर्वेक्षण और अन्वेषणाधीन परियोजनाएं**

| क्रम सं.          | परियोजना         | राज्य                              | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) |
|-------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>जल विद्युत</b> |                  |                                    |                            |
| 1                 | गरबा तवाघाट      | उत्तराखंड                          | 630                        |
| 2                 | उरी-I चरण-II#    | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर | 240                        |
| 3                 | दुलहस्ती चरण-II# | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर | 260                        |
|                   | <b>कुल</b>       |                                    | <b>1130</b>                |

# जम्मू और कश्मीर में किरथाई-II, सावलकोट, उरी-I (चरण-II), दुलहस्ती (चरण-II) जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जल विद्युत परियोजनाएं के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक 03.01.2021 को हस्ताक्षर किए गए।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 257 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

अध्याय-3

स्थायीकरण प्रक्रिया

{(प्राधिकार: (i) डीओपीटी का दिनांक 31.03.2011 का का.जा.सं. 28(30)ईओ/2010(एसीसी);  
(ii) पीईएसबी का दिनांक 28.06.2011 का का.जा.सं. 5/6/2010-पीईएसबी)}

1. बोर्ड स्तर के अधिकारियों के स्थायीकरण/गैर-स्थायीकरण के मामलों पर विचार किया जाता है ताकि वे अपने कार्यकाल की शेष अवधि जारी रखने अथवा अन्यथा समर्थ हो सकें।
2. पीईएसबी ने विशेष निष्पादन रिपोर्ट (एसपीआर) के लिए प्रपत्र और दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं। एसपीआर में मूल्यांकन मुख्य कार्यकारी के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव द्वारा और प्रकार्यात्मक निदेशकों के संबंध में मुख्य कार्यकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग के सचिव द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित रिकॉर्ड किया जाना अपेक्षित है।
3. एसपीआर में न्यूनतम स्वीकार्य अंक 50 में से 37.5 हैं जिसमें से किसी अकेली विशेषता में 3 अंक से कम प्राप्त न हुए हों।
4. मंत्रालयों द्वारा पीईएसबी को केवल निष्पादन के आधार पर गैर-स्थायीकरण के उन्हीं मामलों में प्रस्ताव भेजना अपेक्षित है जिनमें जहां एसपीआर के अंक 37.5 से कम हों।
5. कोई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशक, एक वर्ष समाप्त होने के बाद 30 दिन के भीतर, जब तक कि मंत्रालय/विभाग द्वारा, पीईएसबी को इसके विपरीत कोई प्रस्ताव न भेजा जाए, स्थायी मान लिया जाएगा।
6. इस एक वर्ष और 30 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर अधिकारी को स्थायी किया गया मान लिया जाएगा और, यदि मंत्रालय पीईएसबी को इसके विपरीत प्रस्ताव भेजने में विफल रहता है तो, मंत्रालय स्थायीकरण के आवश्यक आदेश जारी करेगा।
7. एसपीआर में 37.5 अंक से कम प्राप्त करने वाले कार्यकारियों को अधिकारी के स्थायीकरण अथवा अन्यथा विचार करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव की उपस्थिति में बोर्ड के साथ संयुक्त मूल्यांकन बैठक के लिए बुलाया जाएगा।
8. पीईएसबी, प्रस्ताव की प्राप्ति से एक माह के भीतर संयुक्त मूल्यांकन का आयोजन करेगा, जिसके बाद प्रस्ताव को आदेशार्थ एसीसी के समक्ष रखने के लिए मंत्रालय को भेजा जाएगा।
9. यदि मंत्रालय/विभाग निष्पादन के अलावा सतर्कता मामले इत्यादि जैसे अन्य कारणों से नियुक्त अधिकारी को स्थायी करने के इच्छुक नहीं हैं तो, ऐसे प्रस्ताव अधिकारी के निर्धारित सेवाकाल की अग्रिम रूप से समाप्ति से कम-से-कम 30 दिन पहले सीधे एसीसी को प्रस्तुत किए जाएंगे।
10. यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा गैर-स्थायीकरण की सिफारिश का अनुमोदन कर दिया जाता है, तो कार्यकारी पद छोड़ देगा।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 257 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**फा.सं. 13/07/2010-पीईएसबी**

**भारत सरकार**

**कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग**

**लोक उद्यम चयन बोर्ड**

ब्लॉक नं: 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,  
नई दिल्ली, 2 दिसंबर, 2011

**विषय : बोर्ड स्तर के अधिकारियों के सेवाकाल को स्थायी करने संबंधी स्पष्टीकरण - सतर्कता स्वीकृति की आवश्यकता।**

पीईएसबी को बोर्ड स्तर के नियुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा पूरी होने के बाद उनके स्थायीकरण के समय सतर्कता स्वीकृति की आवश्यकता के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं। एसीसी दिनांक 31.03.2011, पीईएसबी दिनांक 13.05.2011 के नए निर्देशों के जारी होने से, जहां यदि मंत्रालय/विभाग निष्पादन के अलावा सतर्कता मामले इत्यादि जैसे अन्य कारणों से नियुक्त अधिकारी को स्थायी करने के इच्छुक नहीं हैं तो, ऐसे प्रस्ताव अधिकारी के निर्धारित सेवाकाल की समाप्ति से कम-से-कम 30 दिन पहले सीधे एसीसी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को स्थायी करने के मामले को प्रक्रियाबद्ध करने से पहले सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति अपेक्षित है, ताकि मामले पर स्थायीकरण अथवा अन्यथा हेतु कार्रवाई की जा सके।

**(वेदांतम गिरि)**

**निदेशक, पीईएसबी**

**टेलीफोन: 24362936**

सभी मंत्रालय

प्रतिलिपि: सचिव, सीवीसी/सचिव, डीपीई

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-273

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

विद्युतीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन

273. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में विद्युतीकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए जिले-वार, योजना-वार और कार्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और व्यय की गई है;

(ग) उन घरों और बस्तियों की जिले-वार संख्या कितनी है, जिनका विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(घ) क्या केंद्र सरकार उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों को आवंटित निधियों के व्यय का वास्तविक सत्यापन करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इसमें पाई गई विसंगतियों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने जनगणना 2011 के अनुसार सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण; ग्रामीण क्षेत्रों में एचटी तथा एलटी लाइनों के निर्माण सहित, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों तथा उपभोक्ताओं की मीटरिंग; और फीडर पृथक्करण के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। राजस्थान राज्य में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सृजित अवसंरचना (दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार) के ब्यौरे अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी निधियों के जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सौभाग्य स्कीम, जो अब बंद हो चुकी है, के तत्वावधान में राजस्थान से कुल 20,75,522 घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई है। राजस्थान के अनुरोध के आधार पर, जुलाई, 2021 में डीडीयूजीजेवाई नवीन के अंतर्गत 2,10,843 अतिरिक्त घरों के विद्युतीकरण की स्वीकृति दी गई थी जिसके निमित्त दिनांक 31.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार 33,523 घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। राजस्थान राज्य में इन अतिरिक्त घरों के विद्युतीकरण की जिला-वार स्थिति **अनुबंध-III** में दी गई है।

**(घ) से (च) :** डिस्कॉम/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) द्वारा निधियों के सूचित उपयोग के आधार पर नोडल एजेंसी, आरईसी लिमिटेड, को निधियां जारी की जाती हैं। नोडल एजेंसी होने के कारण आरईसी, स्वीकृत परियोजनाओं के निमित्त पात्र सब्सिडी की अगली किश्त जारी करने से पहले, राज्यों में स्कीम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से आवंटित निधियों का उपयुक्त उपयोग और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जारी की गई निधियों के संबंध में, राज्य में स्वीकृत प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत राज्य में किए गए कार्यों की संचयी वास्तविक और वित्तीय प्रगति सहित, वार्षिक रूप से अपनी राज्य सरकारों द्वारा विधिवत समर्थित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, डिस्कॉम/पीआईए परियोजना में व्यय और नवीनतम वास्तविक प्रगति का लेखापरीक्षित विवरण भी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, एक गुणवत्ता आश्वासन तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें फील्ड स्तर पर गांव का निरीक्षण और पूर्व-परिभाषित सैम्पलिंग क्रियापद्धति सहित प्रेषण-पूर्व निरीक्षण शामिल हैं।

राज्य द्वारा अभी तक किसी असमानता की सूचना नहीं दी गई है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 273 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

दिनांक 31-12-2021 तक की स्थिति के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के तहत राजस्थान की वास्तविक प्रगति (आरई और अतिरिक्त इन्फ्रा सहित)

| क्रम सं. | जिले का नाम       | नया सब-स्टेशन (सं.) |            | सब-स्टेशन का संवर्धन (सं.) |           | डीटीआर        |               | एलटी लाइनें (सीकेएम) |               | 11 केवी (फीडर पृथक्करण को छोड़कर) (सीकेएम) |                | 33/66 केवी (सीकेएम) |             | 11 केवी फीडर पृथक्करण (सीकेएम) |               | उपभोक्ता मीटरिंग (सं.) |              | डीटीआर मीटरिंग (सं.) |          | फीडर मीटरिंग (सं.) |             |
|----------|-------------------|---------------------|------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|----------|--------------------|-------------|
|          |                   | सर्वक्षित           | उपलब्ध     | सर्वक्षित                  | उपलब्ध    | सर्वक्षित     | उपलब्ध        | सर्वक्षित            | उपलब्ध        | सर्वक्षित                                  | उपलब्ध         | सर्वक्षित           | उपलब्ध      | सर्वक्षित                      | उपलब्ध        | सर्वक्षित              | उपलब्ध       | सर्वक्षित            | उपलब्ध   | सर्वक्षित          | उपलब्ध      |
| 1        | अजमेर             | 10                  | 10         | 0                          | 0         | 2404          | 2404          | 1170.56              | 1170.56       | 821.23                                     | 821.23         | 55.33               | 55.33       | 124                            | 124           | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 80                 | 80          |
| 2        | अलवर              | 20                  | 20         | 0                          | 0         | 13413         | 13413         | 6113.34              | 6113.34       | 1644.76                                    | 1644.76        | 115.64              | 115.64      | 402.17                         | 402.17        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 430                | 430         |
| 3        | बांसवाड़ा         | 4                   | 4          | 0                          | 0         | 12577         | 12577         | 11391.53             | 11391.53      | 2501.09                                    | 2501.09        | 47.61               | 47.61       | 73.95                          | 73.95         | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 20                 | 20          |
| 4        | बरन               | 10                  | 10         | 0                          | 0         | 1846          | 1846          | 1015.07              | 1015.07       | 427.03                                     | 427.03         | 94.79               | 94.79       | 31.52                          | 31.52         | 5360                   | 5360         | 0                    | 0        | 52                 | 52          |
| 5        | बाड़मेर           | 2                   | 2          | 0                          | 0         | 29698         | 27745         | 28737.91             | 27237.61      | 12409.35                                   | 11603.85       | 6.4                 | 6.4         | 0                              | 0             | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 0                  | 0           |
| 6        | भरतपुर            | 8                   | 8          | 0                          | 0         | 4995          | 4995          | 2218.06              | 2218.06       | 700.89                                     | 700.89         | 81.3                | 81.3        | 752.392                        | 752.392       | 14937                  | 14937        | 0                    | 0        | 154                | 154         |
| 7        | भीलवाड़ा          | 16                  | 16         | 0                          | 0         | 2446          | 2446          | 1710.96              | 1710.96       | 729.2                                      | 729.2          | 120.4               | 120.4       | 336.9                          | 336.9         | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 146                | 146         |
| 8        | बीकानेर           | 2                   | 2          | 0                          | 0         | 8706          | 8706          | 9257.92              | 9257.92       | 3744.88                                    | 3744.88        | 8.09                | 8.09        | 0                              | 0             | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 0                  | 0           |
| 9        | बूंदी             | 5                   | 5          | 0                          | 0         | 2973          | 2973          | 1379.64              | 1379.64       | 658.65                                     | 658.65         | 79.54               | 79.54       | 107.32                         | 107.32        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 77                 | 77          |
| 10       | चित्तौड़गढ़       | 11                  | 11         | 5                          | 5         | 2145          | 2145          | 2292.97              | 2292.97       | 451.1                                      | 451.1          | 51.7                | 51.7        | 192.88                         | 192.88        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 46                 | 46          |
| 11       | चुरू              | 2                   | 2          | 0                          | 0         | 3417          | 3417          | 2834.2               | 2834.2        | 1439.86                                    | 1439.86        | 17.53               | 17.53       | 0                              | 0             | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 0                  | 0           |
| 12       | दौसा              | 7                   | 7          | 0                          | 0         | 6517          | 6517          | 3648.77              | 3648.77       | 738.03                                     | 738.03         | 24.27               | 24.27       | 371.17                         | 371.17        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 132                | 132         |
| 13       | धौलपुर            | 6                   | 6          | 0                          | 0         | 3408          | 3408          | 1497.68              | 1497.68       | 991.32                                     | 991.32         | 91.43               | 91.43       | 71                             | 71            | 14656                  | 14656        | 0                    | 0        | 17                 | 17          |
| 14       | झुंजरपुर          | 1                   | 1          | 0                          | 0         | 13757         | 13757         | 10977.44             | 10977.44      | 3502.83                                    | 3502.83        | 15.93               | 15.93       | 11.48                          | 11.48         | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 6                  | 6           |
| 15       | गंगानगर           | 2                   | 2          | 5                          | 5         | 3809          | 3809          | 1996.63              | 1996.63       | 1322.34                                    | 1322.34        | 20.19               | 20.19       | 0                              | 0             | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 0                  | 0           |
| 16       | हनुमानगढ़         | 3                   | 3          | 0                          | 0         | 3909          | 3909          | 2648.5               | 2648.5        | 1720.51                                    | 1720.51        | 17.35               | 17.35       | 123.59                         | 123.59        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 0                  | 0           |
| 17       | जयपुर             | 32                  | 32         | 0                          | 0         | 9252          | 9252          | 3485.5               | 3485.5        | 1799.57                                    | 1799.57        | 281.93              | 281.93      | 1127                           | 1127          | 24113                  | 24113        | 0                    | 0        | 401                | 401         |
| 18       | जैसलमेर           | 0                   | 0          | 2                          | 2         | 3795          | 3795          | 4918.53              | 4918.53       | 4267.24                                    | 4267.24        | 0                   | 0           | 133.15                         | 133.15        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 14                 | 14          |
| 19       | जैसलमेर (यूई)     | 1                   | 1          | 0                          | 0         | 54            | 54            | 29.59                | 29.59         | 304.83                                     | 304.83         | 16.05               | 16.05       | 0                              | 0             | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 0                  | 0           |
| 20       | जालोर             | 0                   | 0          | 0                          | 0         | 8736          | 8736          | 5291.47              | 5291.47       | 1799.53                                    | 1799.53        | 0                   | 0           | 0                              | 0             | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 0                  | 0           |
| 21       | झालावाड़          | 10                  | 10         | 0                          | 0         | 3621          | 3621          | 1405.35              | 1405.35       | 618.85                                     | 618.85         | 654.24              | 654.24      | 72.25                          | 72.25         | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 119                | 119         |
| 22       | झुंझुनूं          | 7                   | 7          | 0                          | 0         | 5004          | 5004          | 3034.58              | 3034.58       | 424.21                                     | 424.21         | 28.19               | 28.19       | 12.73                          | 12.73         | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 36                 | 36          |
| 23       | जोधपुर            | 2                   | 2          | 3                          | 3         | 10738         | 10738         | 11106.78             | 11106.78      | 4117.19                                    | 4117.19        | 8.43                | 8.43        | 280.43                         | 280.43        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 0                  | 0           |
| 24       | करौली             | 4                   | 4          | 4                          | 4         | 6751          | 6751          | 2371.63              | 2371.63       | 1164.01                                    | 1164.01        | 26.92               | 26.92       | 200.8                          | 200.8         | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 81                 | 81          |
| 25       | कोटा              | 6                   | 6          | 0                          | 0         | 2230          | 2230          | 798.33               | 798.33        | 498.45                                     | 498.45         | 35.5                | 35.5        | 57.9                           | 57.9          | 9861                   | 9861         | 0                    | 0        | 39                 | 39          |
| 26       | नागौर             | 11                  | 11         | 0                          | 0         | 7610          | 7610          | 6655.9               | 6655.9        | 2573.99                                    | 2573.99        | 69.06               | 69.06       | 250                            | 250           | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 65                 | 65          |
| 27       | नागौर (पीएस लडनू) | 0                   | 0          | 0                          | 0         | 127           | 127           | 120.17               | 120.17        | 50.61                                      | 50.61          | 0                   | 0           | 0                              | 0             | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 0                  | 0           |
| 28       | पाली              | 2                   | 2          | 0                          | 0         | 3574          | 3574          | 2498.78              | 2498.78       | 1036.55                                    | 1036.55        | 14.98               | 14.98       | 49.2                           | 49.2          | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 7                  | 7           |
| 29       | प्रतापगढ़         | 9                   | 9          | 55                         | 55        | 3428          | 3428          | 4145.8               | 4145.8        | 800.29                                     | 800.29         | 72.65               | 72.65       | 126.92                         | 126.92        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 65                 | 65          |
| 30       | राजसमंद           | 14                  | 14         | 8                          | 8         | 4700          | 4700          | 1420.59              | 1420.59       | 1292.87                                    | 1293.29        | 140.04              | 140.04      | 338.01                         | 338.01        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 58                 | 58          |
| 31       | सवाईमाधोपुर       | 4                   | 4          | 0                          | 0         | 4332          | 4332          | 1766.19              | 1766.19       | 851.97                                     | 851.97         | 36.5                | 36.5        | 292                            | 292           | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 108                | 108         |
| 32       | सीकर              | 9                   | 9          | 0                          | 0         | 7979          | 7979          | 6170.52              | 6170.52       | 764.99                                     | 764.99         | 45.24               | 45.24       | 181.64                         | 181.64        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 31                 | 31          |
| 33       | सिरोही            | 2                   | 2          | 0                          | 0         | 2528          | 2528          | 1450.35              | 1450.35       | 726.42                                     | 726.42         | 11.43               | 11.43       | 0                              | 0             | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 0                  | 0           |
| 34       | टोंक              | 6                   | 6          | 0                          | 0         | 3760          | 3760          | 1509.54              | 1509.54       | 846.24                                     | 846.24         | 41.5                | 41.5        | 187.2                          | 187.2         | 7168                   | 7168         | 0                    | 0        | 59                 | 59          |
| 35       | उदयपुर            | 4                   | 4          | 9                          | 9         | 17155         | 17155         | 17346.06             | 17346.06      | 5311.61                                    | 5311.61        | 51.8                | 51.8        | 107.47                         | 107.47        | 0                      | 0            | 0                    | 0        | 25                 | 25          |
|          | <b>कुल जोड़</b>   | <b>232</b>          | <b>232</b> | <b>91</b>                  | <b>91</b> | <b>221394</b> | <b>219441</b> | <b>164416.8</b>      | <b>162917</b> | <b>63052.5</b>                             | <b>62247.4</b> | <b>2381.96</b>      | <b>2382</b> | <b>6015.07</b>                 | <b>6015.1</b> | <b>76095</b>           | <b>76095</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>2268</b>        | <b>2268</b> |

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 273 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2018 से 31-12-2021 तक डीडीयूजीजेवाई (आरई सहित) के तहत जारी राजस्थान जिला वार निर्मुक्ति

करोड़ रुपये में

| क्रम सं. | परियोजना का नाम                           | निर्मुक्ति (करोड़ रुपये) |            |            |            |
|----------|---|--------------------------|------------|------------|------------|
|          |   | 2018-19                  | 2019-20    | 2020-21    | 2021-22    |
| 1        | अजमेर                                     | 16                       | 0          | -          | 1          |
| 2        | अलवर                                      | 59                       | 12         | -          | -          |
| 3        | बांसवाड़ा                                 | 44                       | -          | -          | -          |
| 4        | बरन                                       | 16                       | -          | -          | 3          |
| 5        | बाड़मेर                                   | 132                      | 10         | -          | -          |
| 6        | भरतपुर                                    | 17                       | 17         | -          | 2          |
| 7        | भीलवाड़ा                                  | 16                       | -          | -          | -0         |
| 8        | बीकानेर                                   | 51                       | 4          | -          | 15         |
| 9        | बूंदी                                     | 12                       | 2          | 1          | -          |
| 10       | चित्तौड़गढ़                               | 5                        | 5          | -          | 1          |
| 11       | चुरू                                      | 8                        | 1          | -          | 9          |
| 12       | दौसा                                      | 29                       | 3          | -          | 2          |
| 13       | धौलपुर                                    | 6                        | -          | 7          | -          |
| 14       | झुंझुनू                                   | 34                       | 12         | -          | 27         |
| 15       | गंगानगर                                   | 6                        | 0          | -          | 2          |
| 16       | हनुमानगढ़                                 | 9                        | 9          | -          | -          |
| 17       | जयपुर                                     | 94                       | -          | -          | -          |
| 18       | जैसलमेर                                   | 13                       | 1          | -          | -          |
| 19       | जालोर                                     | 24                       | 1          | -          | 1          |
| 20       | झालावाड़                                  | 15                       | -          | -          | 2          |
| 21       | झुंझुनू                                   | 18                       | 1          | -          | 2          |
| 22       | जोधपुर                                    | 35                       | 3          | -          | 14         |
| 23       | करौली                                     | 6                        | 12         | 6          | -          |
| 24       | कोटा                                      | 10                       | 2          | -          | 0          |
| 25       | नागौर                                     | 27                       | -          | -          | 4          |
| 26       | पाली                                      | 18                       | 1          | -          | 6          |
| 27       | प्रतापगढ़                                 | 9                        | 8          | -          | 6          |
| 28       | राजसमंद                                   | 18                       | 3          | 9          | 4          |
| 29       | सवाईमाधोपुर                               | 23                       | 5          | -          | 7          |
| 30       | सीकर                                      | 22                       | 0          | -          | 4          |
| 31       | सिरोही                                    | 6                        | -2         | -          | 2          |
| 32       | टोंक                                      | 17                       | -          | -          | 0          |
| 33       | उदयपुर                                    | 56                       | -          | -          | -          |
| 34       | सभी जिले (डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इन्फ्रा) | 329                      | 156        | 94         |            |
| 35       | डीडीजी (डीडीजी ऑफगिड)                     | 13                       | 5          |            |            |
|          | <b>कुल जोड़</b>                           | <b>1214</b>              | <b>273</b> | <b>116</b> | <b>114</b> |

\*\*\*\*\*



अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 273 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई (नई) के अंतर्गत राजस्थान में अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण की जिला-वार स्थिति

| जयपुर डिस्कॉम |            |        |      |        |        |      | अजमेर डिस्कॉम |            |        |        |        |        |       | जोधपुर डिस्कॉम |            |        |       |        |        |       |
|---------------|------------|--------|------|--------|--------|------|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| जिला          | संस्वीकृति |        |      | प्रगति |        |      | जिला          | संस्वीकृति |        |        | प्रगति |        |       | जिला           | संस्वीकृति |        |       | प्रगति |        |       |
|               | ऑफ थिड     | ऑन थिड | कुल  | ऑफ थिड | ऑन थिड | कुल  |               | ऑफ थिड     | ऑन थिड | कुल    | ऑफ थिड | ऑन थिड | कुल   |                | ऑफ थिड     | ऑन थिड | कुल   | ऑफ थिड | ऑन थिड | कुल   |
| अलवर          | 0          | 95     | 95   | 0      | 95     | 95   | बांसवाड़ा     | 0          | 15007  | 15007  | 0      | 2626   | 2626  | जैसलमेर        | 3471       | 3613   | 7084  | कार्य  | 1175   | 1175  |
| बरन           | 0          | 110    | 110  | 0      | 110    | 110  | भीलवाड़ा      | 115        | 0      | 115    | 0      | 0      | 0     | बाड़मेर        | 159        | 18516  | 18575 | प्रगति | 4325   | 4325  |
| भरतपुर        | 0          | 589    | 589  | 0      | 589    | 589  | चित्तौड़गढ़   | 38         | 1084   | 1122   | 0      | 1137   | 1137  | जालौर          | 244        | 13745  | 13989 | पर     | 685    | 685   |
| बूंदी         | 0          | 0      | 0    | 0      | 0      | 0    | झुंझरपुर      | 0          | 7290   | 7290   | 0      | 4729   | 4729  | जोधपुर         | 5326       | 16410  | 21736 |        | 2000   | 2000  |
| दौसा          | 150        | 320    | 470  | 0      | 436    | 436  | झुंझर         | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | पाली           | 586        | 0      | 586   |        | 0      | 0     |
| धौलपुर        | 0          | 26     | 26   | 0      | 26     | 26   | नागौर         | 0          | 15358  | 15358  | 0      | 3724   | 3724  | सिरोही         | 6806       | 1390   | 8196  |        | 38     | 38    |
| झालावाड़      | 0          | 420    | 420  | 0      | 420    | 420  | प्रतापगढ़     | 284        | 20705  | 20989  | 0      | 2052   | 2052  | बीकानेर        | 218        | 14935  | 15153 |        | 2836   | 2836  |
| जयपुर         | 0          | 343    | 343  | 0      | 343    | 343  | राजसमंद       | 203        | 8715   | 8918   | 0      | 1056   | 1056  | चुरू           | 975        | 0      | 975   |        | 0      | 0     |
| करौली         | 552        | 265    | 817  | 0      | 265    | 265  | सीकर          | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | हनुमानगढ़      | 2295       | 0      | 2295  |        | 0      | 0     |
| कोटा          | 160        | 120    | 280  | 0      | 120    | 120  | उदयपुर        | 13431      | 35141  | 48572  | 0      | 4629   | 4629  | श्री-गंगानगर   | 1252       | 0      | 1252  |        | 0      | 0     |
| एसडब्ल्यूएम   | 274        | 86     | 360  | 0      | 86     | 86   | कुल           | 14071      | 103300 | 117371 | 0      | 19953  | 19953 | कुल            | 21332      | 68609  | 89941 |        | 11059  | 11059 |
| टोंक          | 0          | 21     | 21   | 0      | 21     | 21   |               |            |        |        |        |        |       |                |            |        |       |        |        |       |
| कुल           | 1136       | 2395   | 3531 | 0      | 2511   | 2511 |               |            |        |        |        |        |       |                |            |        |       |        |        |       |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-321

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

आईपीडीएस की स्थिति

321. श्री मनोज कोटक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्र में विद्युत सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए वर्ष 2014 में समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की अधिसूचना जारी की है;
- (ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए अनुदान तथा शुरू की गई परियोजनाओं का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत तय लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) आईपीडीएस के अंतर्गत लंबित योजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने दिसम्बर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की जिसके अंतर्गत विभिन्न वितरण अवसंरचना परियोजनाएं जैसे कि शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण; शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; आईटी सक्षमीकरण कार्यों; उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी); स्मार्ट मीटरिंग; गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस); और वास्तविक समय डाटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएस) आदि शामिल हैं।

अब तक, आईपीडीएस के तहत 30,834 करोड़ रुपये मूल्य की 19,350 करोड़ रुपये की [भारत सरकार (जीओआई) के अनुदान सहित] परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें यहां उल्लिखित परियोजनाओं के घटक शामिल हैं, जिसमें से 16,716 करोड़ रुपये का भारत सरकार का अनुदान राज्यों को जारी किया गया है।

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आईपीडीएस के तहत राज्य सरकारों को जारी किए गए भारत सरकार के अनुदान और शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-I और II में दिए गए हैं। अवसंरचना निर्माण के लक्ष्य और उपलब्धियां अनुबंध-III में दी गई हैं।

आईपीडीएस मार्च, 2022 में समाप्त हो जाएगी, केवल कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, जिनमें प्रधानमंत्री के जम्मू एवं कश्मीर विकास पैकेज-2015 के तहत घोषित वे परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका मार्च, 2023 में समापन हो जाएगा।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र    | आईपीडीएस- विभिन्न परियोजनाओं के तहत निष्पादित कार्यों का राज्यवार विवरण |                              |                         |                                      |                            |                     |                    |                           |                      |                        |                                 |                        |
|---------|----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
|         |                            | उप-पारेषण और वितरण सुदृढीकरण परियोजनाएं                                 |                              |                         |                                      |                            |                     | आईटी परियोजनाएं    |                           |                      |                        | जीआईएस परियोजनाएं               |                        |
|         |                            | नए सब-स्टेशन (सं.)  | सब-स्टेशनों का संवर्धन (सं.) | ओवर हैड लाइनें (सीकेएम) | एरियल बंचड तथा भूमिगत केबिल (सीकेएम) | नए डीटी की संस्थापना (सं.) | उपभोक्ता मीटर (सं.) | प्रणाली मीटर (सं.) | छोट शहरों की आईटी सक्षमता | ईआरपी                | स्मार्ट मीटर (सं.)     | रियल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली | जीआईएस सब स्टेशन (सं.) |
| 1       | अण्डमान निकोबार द्वीप समूह |   |                              |                         |                                      |                            |                     |                    |                           | 35,863               |                        |                                 |                        |
| 2       | आंध्र प्रदेश               | 104   | 96                           | 1,366                   | 305                                  | 2,856                      | 373,958             | 7,238              | पूरा हुआ                  | पूरा हुआ             | 1 डिस्कॉम में पूरा हुआ | 24                              |                        |
| 3       | अरुणाचल प्रदेश             | 1   | -                            | 546                     | 71                                   | 470                        |                     |                    | पूरा हुआ                  |                      |                        |                                 |                        |
| 4       | असम                        | 13  | 39                           | 796                     | 2,459                                | 686                        | 66,782              | 1,397              |                           |                      | पूरा हुआ               | 2                               |                        |
| 5       | बिहार                      | 63  | 148                          | 1,866                   | 8,874                                | 4,913                      | 272,575             | 6,339              | पूरा हुआ                  | 403,530              | पूरा हुआ               | 7                               |                        |
| 6       | छत्तीसगढ़                  | 32  | 64                           | 1,158                   | 3,420                                | 1,701                      |                     | 569                | पूरा हुआ                  | पूरा हुआ             |                        |                                 |                        |
| 7       | दिल्ली                     |   |                              |                         |                                      |                            |                     |                    |                           |                      |                        |                                 |                        |
| 8       | गोवा                       |   |                              |                         |                                      |                            | 129,551             |                    |                           |                      | पूरा हुआ               | 1                               |                        |
| 9       | गुजरात                     | 19  | 55                           | 636                     | 7,388                                | 6,111                      | 876,402             | 11,535             |                           |                      |                        |                                 |                        |
| 10      | हरियाणा                    | 5   | 5                            | 323                     | 1,342                                | 1,001                      | 6,640               |                    | पूरा हुआ                  |                      | पूरा हुआ               | 1                               |                        |
| 11      | हिमाचल प्रदेश              | 1   | 2                            | 141                     | 383                                  | 390                        | 41,785              | 740                | पूरा हुआ                  | पूरा हुआ             | 34,803                 | पूरा हुआ                        | 1                      |
| 12      | जम्मू एवं कश्मीर           | 14  | 44                           | 193                     | 996                                  | 839                        |                     | 1,185              |                           |                      |                        | 2                               |                        |
| 13      | झारखंड                     | 26  | 42                           | 538                     | 2,340                                | 1,678                      | 57,475              |                    |                           | पूरा हुआ             |                        |                                 |                        |
| 14      | कर्नाटक                    | 7   | 2                            | 1,407                   | 3,368                                | 3,899                      | 616,789             | 753                | पूरा हुआ                  | पूरा हुआ (2 डिस्कॉम) |                        | 6                               |                        |
| 15      | केरल                       | 3   | 12                           | 643                     | 1,399                                | 885                        | 646,392             | 4,544              | पूरा हुआ                  | पूरा हुआ             | 805                    | चालू                            |                        |
| 16      | लद्दाख                     |   | 4                            | 10                      | 50                                   | 82                         |                     | 82                 |                           |                      |                        |                                 |                        |

|    |              |            |              |               |               |               |                  |                |                      |                      |                  |                        |           |
|----|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------|
| 17 | मध्य प्रदेश  | 58         | 133          | 3,467         | 3,480         | 4,390         | 539,467          | 6,682          | पूरा हुआ (2 डिस्कॉम) | पूरा हुआ             | 231,438          | 1 डिस्कॉम में पूरा हुआ |           |
| 18 | महाराष्ट्र   | 114        | 116          | 2,332         | 6,957         | 5,048         | 718,836          | 552            | पूरा हुआ             | पूरा हुआ             |                  |                        |           |
| 19 | मणिपुर       | 4          | 2            | 86            | 640           | 181           | 12               | 356            |                      |                      |                  |                        |           |
| 20 | मेघालय       | 6          | 2            | 132           |               | 53            |                  | 12             |                      | पूरा हुआ             |                  | पूरा हुआ               | 2         |
| 21 | मिजोरम       | 2          | 2            | 271           | 91            | 55            | 3,800            | 62             | पूरा हुआ             | पूरा हुआ             |                  | पूरा हुआ               |           |
| 22 | नागालैंड     | 1          | 1            | 227           |               | 121           | 59,000           | 689            |                      | पूरा हुआ             |                  |                        |           |
| 23 | ओडिशा        | 14         | 92           | 745           | 3,424         | 1,983         | 313,821          | 3,142          | पूरा हुआ (3 डिस्कॉम) | पूरा हुआ (3 डिस्कॉम) |                  |                        |           |
| 24 | पुदुचेरी     |            |              | 4             | 12            | 50            | 35,000           |                |                      |                      |                  |                        |           |
| 25 | पंजाब        |            |              | 453           | 297           | 1,736         | 15,847           | 3,864          | पूरा हुआ             | चालू                 | 73,000           |                        |           |
| 26 | राजस्थान     | 127        | 195          | 746           | 2,896         | 2,395         | 8,177            | 127            | पूरा हुआ (2 डिस्कॉम) | पूरा हुआ             | 296,706          |                        | 4         |
| 27 | सिक्किम      | 1          | 2            | 23            | 120           | 39            | 79               | 517            |                      |                      |                  |                        |           |
| 28 | तमिलनाडु     | 68         | 41           | 6,013         | 1,900         | 1,094         | 2,516,056        | 49,261         |                      | पूरा हुआ             |                  |                        |           |
| 29 | तेलंगाना     | 54         | 54           | 2,486         | 568           | 4,284         | 230,315          | 2,214          | पूरा हुआ             | पूरा हुआ             |                  | पूरा हुआ               |           |
| 30 | त्रिपुरा     | 6          | 1            | 51            | 583           | 437           |                  | 183            |                      | पूरा हुआ             |                  |                        |           |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 196        | 242          | 6,066         | 13,888        | 7,878         | 258,897          | 5,941          | पूरा हुआ             | पूरा हुआ             |                  | पूरा हुआ               |           |
| 32 | उत्तराखंड    | 1          | 37           | 175           | 1,131         | 291           | 34,762           | 1,201          | पूरा हुआ             | चालू                 |                  | पूरा हुआ               | 9         |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 50         | 167          | 1,097         | 15,810        | 4,282         | 735,382          | 1,505          | पूरा हुआ             |                      |                  |                        | 5         |
|    | <b>कुल</b>   | <b>990</b> | <b>1,600</b> | <b>33,997</b> | <b>84,192</b> | <b>59,828</b> | <b>8,557,800</b> | <b>110,690</b> |                      |                      | <b>1,076,145</b> |                        | <b>64</b> |

(स्रोत: पीएफसी)

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आईपीडीएस स्कीम के तहत 17.01.2022 को पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यवार जारी भारत सरकार का अनुदान:-

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य                       | वित्त वर्ष<br>2016-2017 | वित्त वर्ष<br>2017-2018 | वित्त वर्ष<br>2018-2019 | वित्त वर्ष<br>2019-2020 | वित्त वर्ष<br>2020-2021 | वित्त वर्ष<br>2021-2022<br>(17.01.2022 तक) | कुल वित्त वर्ष<br>17 से आगे |
|---------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| 1       | अंडमान निकोबार<br>द्वीपसमूह | -                       | 1                       | -                       | -                       | 2                       | 6  | 10                          |
| 2       | आंध्र प्रदेश                | 67                      | 232                     | 18                      | 29                      | 101                     | 23   | 470                         |
| 3       | अरुणाचल प्रदेश              | 13                      | -                       | -                       | 15                      | 56                      | 23   | 107                         |
| 4       | असम                         | -                       | 103                     | -                       | 273                     | 75                      | 40   | 491                         |
| 5       | बिहार                       | 321                     | 20                      | 18                      | 624                     | 315                     | 114  | 1,412                       |
| 6       | छत्तीसगढ़                   | -                       | 40                      | 1                       | 23                      | 169                     | 56   | 288                         |
| 7       | दिल्ली                      | -                       | -                       | 33                      | -                       | 57                      | -  | 90                          |
| 8       | गोवा                        | -                       | 2                       | 0                       | 11                      | 13                      | 17   | 44                          |
| 9       | गुजरात                      | 175                     | 130                     | 120                     | 112                     | 84                      | -  | 621                         |
| 10      | हरियाणा                     | 24                      | 13                      | 30                      | 42                      | 72                      | 2  | 182                         |
| 11      | हिमाचल प्रदेश               | 9                       | 2                       | 21                      | 60                      | 18                      | 17   | 127                         |
| 12      | जम्मू-कश्मीर/लद्दाख         | 3                       | 35                      | -                       | 58                      | 228                     | 17   | 341                         |
| 13      | झारखंड                      | 44                      | 89                      | 160                     | -                       | 75                      | 13   | 380                         |
| 14      | कर्नाटक                     | 69                      | 130                     | 350                     | 49                      | 91                      | 64   | 753                         |
| 15      | केरल                        | 108                     | -                       | 0                       | 19                      | 225                     | 39   | 392                         |
| 16      | महाराष्ट्र                  | 197                     | 160                     | 81                      | 740                     | 110                     | 11   | 1,299                       |
| 17      | मणिपुर                      | 21                      | -                       | 64                      | -                       | -                       | -  | 85                          |
| 18      | मेघालय                      | 5                       | -                       | 9                       | 1                       | 29                      | 11   | 55                          |
| 19      | मिजोरम                      | 12                      | -                       | 3                       | 5                       | 5                       | 57   | 82                          |
| 20      | मध्य प्रदेश                 | 101                     | 71                      | 123                     | 364                     | 202                     | 53   | 915                         |
| 21      | नागालैंड                    | 4                       | 7                       | 8                       | 74                      | -                       | 7  | 100                         |
| 22      | ओडिशा                       | 183                     | -                       | 247                     | 128                     | 22                      | 9  | 590                         |
| 23      | पुदुचेरी                    | -                       | -                       | 4                       | -                       | 5                       | -  | 9                           |
| 24      | पंजाब                       | 20                      | 29                      | 20                      | 120                     | 42                      | 5  | 236                         |
| 25      | राजस्थान                    | 130                     | 99                      | -                       | 417                     | 96                      | 41   | 782                         |
| 26      | सिक्किम                     | -                       | 1                       | 9                       | 15                      | -                       | 67   | 92                          |
| 27      | तमिलनाडु                    | 29                      | 250                     | 24                      | 596                     | 27                      | 84   | 1,010                       |
| 28      | तेलंगाना                    | 39                      | 70                      | 223                     | 11                      | 56                      | 49   | 449                         |
| 29      | त्रिपुरा                    | -                       | 8                       | 6                       | 24                      | 85                      | 5  | 127                         |
| 30      | उत्तर प्रदेश                | 631                     | 635                     | 1,008                   | 111                     | 303                     | 166  | 2,853                       |
| 31      | उत्तराखंड                   | 16                      | 33                      | 87                      | 73                      | 224                     | 44   | 477                         |
| 32      | पश्चिम बंगाल                | 112                     | 319                     | 45                      | 607                     | 422                     | 15   | 1,521                       |
|         | <b>कुल</b>                  | <b>2,333</b>            | <b>2,479</b>            | <b>2,713</b>            | <b>4,600</b>            | <b>3,210</b>            | <b>1,055</b>                               | <b>16,390</b>               |

(स्रोत: पीएफसी)

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-III**

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आईपीडीएस के तहत अवसंरचना के निर्माण के लक्ष्य और उपलब्धियां

| मदें (इकाई)                    | लक्ष्य (यूटीलिटियों द्वारा प्रदान की गई मात्रा) | उपलब्धि (यूटीलिटियों द्वारा निष्पादित मात्रा)* |
|--------------------------------|---|--|
| नए विद्युत सब-स्टेशन (सं.)     | 999   | 985  |
| एचटी लाइनें (सीकेएम)           | 24,133  | 23,489   |
| एलटी लाइनें (सीकेएम)           | 10,718  | 10,416   |
| एबी केबिल (सीकेएम)             | 65,016  | 62,811   |
| यूजी केबिल (सीकेएम)            | 21,894  | 20,588   |
| रूफ टॉप सौर पैनल (केडब्ल्यूपी) | 46,500  | 45,725   |

[\*स्रोत: पीएफसी]

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-327

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग अवसंरचना

327. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:  
श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में बिजली उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूरे देश में बिजली की कमी है या बिजली अधिशेष है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दिल्ली और एनसीआर में पहले से स्थापित/स्थापित किए जाने वाले चार्जिंग स्टेशनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जा पर आयात शुल्क कम करने अथवा मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की समस्याओं के स्वदेशी समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का भी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2021-22 (दिसम्बर 2021 तक) के दौरान देश में ईंधन स्रोतों [तापीय, न्युक्लियर और जल विद्युत (25 मेगावाट और उससे अधिक)] से विद्युत उत्पादन के ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक (नवम्बर, 2021 तक) देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्रोत-वार ब्यौरा अनुबंध-II में संलग्न है। वर्ष 2019-20 के दौरान पूरे देश में विद्युत की कुल खपत 1248085.82 एमयू है।

(ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है और विद्युत उत्पादन ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप है। देश में कुल विद्युत की आपूर्ति की स्थिति, केवल ऊर्जा आवश्यकता तथा ऊर्जा आपूर्ति के बीच मामूली अंतर के साथ संतोषजनक है। यह अंतर भी विद्युत की उपलब्धता में अपर्याप्तता के अलावा सामान्यतया अन्य कारणों उदाहरणार्थ- वितरण नेटवर्क में बाधाएं, वित्तीय बाधाएं, वाणिज्यिक कारणों, उत्पादन इकाइयों में आउटेज आदि के कारण है। पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2021-22 (अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक) के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

राज्यों द्वारा सीईए को दी गई सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 2021 माह में ऊर्जा विद्युत आपूर्ति की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध-IV** में दी गई है।

(ग) : भारत सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को प्रोत्साहित/बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम/उपाय **अनुबंध-V** में दिए गए हैं।

(घ) : हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित अधिग्रहण एवं विनिर्माण (फेम-II) स्कीम के अंतर्गत, दिल्ली एनसीआर में कुल 177 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं जिसमें दिल्ली में 72 पीसीएस (सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन), नोएडा में 55 पीसीएस, गुरुग्राम में 30 पीसीएस, सोनीपत और हरियाणा प्रत्येक में 10 पीसीएस शामिल हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईईई) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के ब्यौरे का रखरखाव करने के संबंध में केन्द्रीय नोडल एजेंसी है।

(ङ) : फेम-II स्कीम के अंतर्गत दिल्ली एनसीआर को आबंटित सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के ब्यौरे **अनुबंध-VI** में दिए गए हैं।

(च) : राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) घटकों के आयात पर वर्तमान बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) दर संरचना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अनुसार है। इस पीएमपी ने एक क्रमिक आयात शुल्क संरचना निर्धारित की है, जिसमें तैयार ईवी की तुलना में पुर्जों पर कम आयात शुल्क लगता है। पीएमपी चरणबद्ध तरीके से ईवी क्षेत्र में उच्चतर घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना चाहता है। तथापि, दिनांक 31.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार, पीएमपी में निर्धारित आयात शुल्क ट्रेजेक्टरी से विचलित होने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*



**अनुबंध-1**

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 327 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2021-22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान देश में ईंधन स्रोतों (ताप, न्युक्लियर और जल विद्युत (25 मेगावाट और उससे अधिक)) से विद्युत उत्पादन के ब्यौरे के संबंध में सूचना

| श्रेणी                | उत्पादन (एमयू)    |                   |                  |                   |                   |                                 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                       | 2016-17           | 2017-18           | 2018-19          | 2019-20           | 2020-21           | 2021-22<br>(दिसम्बर, 21<br>तक)* |
| ताप                   | 994230.17         | 1037059.1         | 1072223.88       | 1042747.9         | 1032513.54        | 816784.53                       |
| न्युक्लियर            | 37915.87          | 38346.12          | 37812.59         | 46472.45          | 43029.08          | 34767.25                        |
| जल विद्युत            | 122377.56         | 126122.7          | 134893.61        | 155769.12         | 150299.52         | 126394.71                       |
| भूटान से आयातित       | 5617.34           | 4778.33           | 4406.62          | 5794.48           | 8765.5            | 7278.12                         |
| <b>कुल (परंपरागत)</b> | <b>1160140.94</b> | <b>1206306.25</b> | <b>1249336.7</b> | <b>1250783.91</b> | <b>1234607.64</b> | <b>985224.61</b>                |

\*\*\*\*\*

## अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 327 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक (नवंबर-21 तक) देश में स्रोत-वार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के ब्यौरों के संबंध में सूचना

### अखिल भारतीय आरई उत्पादन वर्ष 2019-20

(सभी आंकड़े एमयू में)

| वर्ष                  | पवन      | सोलर     | बायोमास | बगैसी    | लघु जल विद्युत | अन्य    | नवीकरणीय ऊर्जा कुल | बड़ी जल विद्युत* | बड़ी जल विद्युत सहित कुल आरई |
|-----------------------|----------|----------|---------|----------|----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 2019-20               | 64646.38 | 50131.09 | 2937.97 | 10804.46 | 9451.24        | 365.88  | 138337.02          | 155769.12        | 294106.14                    |
| 2020-21               | 60149.95 | 60402.26 | 3512.98 | 11302.85 | 10258.41       | 1621.06 | 147247.51          | 150299.52        | 297547.03                    |
| 2021-22<br>(नवंबर तक) | 54550.25 | 45392.31 | 2250.05 | 4284.13  | 8097.94        | 1451.61 | 116026.28          | 118046.85        | 234073.13                    |

\* भूटान से आयात को छोड़कर बड़े जलविद्युत उत्पादन

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-III**

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 327 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2021-22 (अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2021 तक की अवधि) के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

| वर्ष                         | ऊर्जा [मिलियन यूनिट में (एमयू)] |                     |                          |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                              | ऊर्जा आवश्यकता                  | आपूर्ति की गई ऊर्जा | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा |
|                              | (एमयू)                          | (एमयू)              | (एमयू)                   |
| 2019-20                      | 1,291,010                       | 1,284,444           | 6,566                    |
| 2020-21                      | 1,275,534                       | 1,270,663           | 4,871                    |
| 2021-22<br>(दिसम्बर 2021 तक) | 1,030,128                       | 1,025,706           | 4,423                    |

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 327 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

| ऊर्जा विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट   |                               |                     |                          |            |
|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| आंकड़े निवल एमयू में   |                               |                     |                          |            |
| राज्य  | अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 |                     |                          |            |
|  | ऊर्जा आवश्यकता                | आपूर्ति की गई ऊर्जा | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा | %          |
| चंडीगढ़  | 1,279                         | 1,279               | 0                        | 0.0        |
| दिल्ली   | 24,727                        | 24,722              | 5                        | 0.0        |
| हरियाणा  | 43,811                        | 43,643              | 167                      | 0.4        |
| हिमाचल प्रदेश  | 9,060                         | 9,019               | 40                       | 0.4        |
| जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख  | 14,670                        | 13,559              | 1,111                    | 7.6        |
| पंजाब  | 50,971                        | 50,611              | 360                      | 0.7        |
| राजस्थान   | 66,106                        | 65,715              | 391                      | 0.6        |
| उत्तर प्रदेश   | 1,00,135                      | 99,040              | 1,095                    | 1.1        |
| उत्तराखंड  | 11,555                        | 11,492              | 63                       | 0.5        |
| छत्तीसगढ़  | 23,601                        | 23,567              | 34                       | 0.1        |
| गुजरात   | 92,198                        | 91,905              | 294                      | 0.3        |
| मध्य प्रदेश  | 62,149                        | 62,102              | 46                       | 0.1        |
| महाराष्ट्र   | 1,26,857                      | 1,26,857            | 0                        | 0.0        |
| दमन और दीव   | 1,930                         | 1,925               | 5                        | 0.3        |
| दादरा एवं नगर हवेली  | 5,100                         | 5,096               | 4                        | 0.1        |
| गोवा   | 3,338                         | 3,336               | 1                        | 0.0        |
| आंध्र प्रदेश   | 50,321                        | 50,273              | 48                       | 0.1        |
| तेलंगाना   | 50,167                        | 50,157              | 10                       | 0.1        |
| कर्नाटक  | 50,523                        | 50,509              | 14                       | 0.0        |
| केरल   | 19,415                        | 19,408              | 7                        | 0.0        |
| तमिलनाडु   | 81,679                        | 81,670              | 9                        | 0.0        |
| पुदुचेरी   | 2,200                         | 2,200               | 0                        | 0.0        |
| लक्षद्वीप #  | 41                            | 41                  | 0                        | 0.0        |
| बिहार  | 28,059                        | 27,735              | 324                      | 0.2        |
| झारखंड   | 17,451                        | 17,449              | 2                        | 0.0        |
| झारखंड   | 8,242                         | 7,899               | 342                      | 4.0        |
| ओडिशा  | 28,582                        | 28,578              | 3                        | 0.0        |
| पश्चिम बंगाल   | 41,860                        | 41,813              | 47                       | 0.1        |
| सिक्किम  | 428                           | 428                 | 0                        | 0.0        |
| अंडमान-निकोबार #   | 254                           | 246                 | 8                        | 3.0        |
| अरुणाचल प्रदेश   | 630                           | 629                 | 1                        | 0.1        |
| असम  | 8,513                         | 8,494               | 19                       | 0.2        |
| मणिपुर   | 726                           | 725                 | 1                        | 0.2        |
| मेघालय   | 1,629                         | 1,616               | 13                       | 0.8        |
| मिजोरम   | 486                           | 474                 | 11                       | 2.3        |
| नागालैंड   | 655                           | 654                 | 1                        | 0.1        |
| त्रिपुरा *   | 1,199                         | 1,199               | 0                        | 0.0        |
| <b>अखिल भारत</b>   | <b>10,30,251</b>              | <b>10,25,781</b>    | <b>4,470</b>             | <b>0.4</b> |
| #लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन प्रणालियां हैं, इनमें से विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा का हिस्सा नहीं है।                           |                               |                     |                          |            |
| *बांग्लादेश को निर्यात की जाने वाली ऊर्जा शामिल नहीं है।   |                               |                     |                          |            |
| टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटीलिटियों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई के स्थान पर पूर्णांकित किया गया है। |                               |                     |                          |            |

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 327 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में विद्युत वाहनों (ईवी) के प्रयोग को प्रोत्साहित करने/बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम/किए गए उपाय

- भारत सरकार ने विद्युत गतिशीलता संबंधी राष्ट्रीय मिशन का अनुमोदन किया और इसके बाद, राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना 2020 (एनईएमएएमपी) का अनावरण किया था। इस मिशन योजना में देश में वर्ष 2020 तक 5-6 मिलियन विद्युत और हाइब्रिड विद्युत वाहनों के प्रवेश की परिकल्पना की गई है।
- भारी उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2015 में “भारत में (हाइब्रिड एवं) विद्युत वाहनों के त्वरित अधिग्रहण और विनिर्माण” (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम का चरण-II दिनांक 01.04.2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए कुल बजटीय सहायता 10,000 करोड़ रुपये है। यह चरण सार्वजनिक तथा सहभागी के विद्युतीकरण को समर्थन देने पर केन्द्रित है और इसका उद्देश्य 7,090 ई-बसों, 5 लाख ई-थ्रीव्हीलरों, 55,000 ई-4 व्हीलर यात्री कारों और 10 लाख ई-2 व्हीलरों की सब्सिडी के माध्यम से सहायता करना है। इसके अतिरिक्त, विद्युत वाहनों के उपयोगकर्ताओं की चिंताओं पर ध्यान देने के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना का समर्थन भी किया गया है।
- विद्युत वाहनों के क्रेताओं को विद्युत वाहनों के क्रय मूल्य में अग्रिम कमी के रूप में फेम इंडिया स्कीम प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। यह प्रोत्साहन बैटरी की क्षमता से जुड़ा है अर्थात् वाहन की लागत के अधिकतम 20% की सीमा तक ई-3 व्हीलर और ई-4 व्हीलर के लिए 10,000 प्रति केडब्ल्यूएच। इसके अलावा, दिनांक 11.06.2021 से ई-2 व्हीलर के लिए प्रोत्साहन राशि/सब्सिडी 10,000 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच कर दी गई है और इसकी अधिकतम सीमा वाहन की लागत के 20% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है।
- भारत सरकार द्वारा देश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आगे की गई पहलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:
  - (i) विद्युत वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  - (ii) विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  - (iii) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने आवासों तथा कार्यालयों में निजी चार्जिंग को अनुमति देते हुए चार्जिंग अवसंरचना मानकों से संबंधित अधिसूचना जारी की है।
  - (iv) सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट होगी।
  - (v) एमओआरटीएच ने राज्यों को ईवी पर पथ कर माफ करने की सलाह देते हुए अधिसूचना जारी की है, परिणामस्वरूप ईवी की आरंभिक लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

- (vi) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल भवन उप नियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण एवं कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 में संशोधन करते हुए “विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना (ईवीसीआई)” के लिए प्रावधान किए हैं।
- भारत सरकार ने ईवी और विद्युत वाहनों के लिए उपयोगिता चार्जिंग अवसंरचना के प्रयोग के लाभों के संबंध में जनसाधारण के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी “गो इलेक्ट्रिक” मीडिया अभियान शुरू किया है।
  - आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल भवन उप नियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण एवं कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 में संशोधन करते हुए “विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना (ईवीसीआई)” के लिए प्रावधान किए हैं।
  - कुछ राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल आदि) द्वारा परिभाषित राज्य स्तरीय ईवी नीतियों में राज्यों में विद्युत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।
  - स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भी चार्जिंग स्टेशन होना अनिवार्य है। विभिन्न राज्य अब नए परिसरों में चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनिवार्य स्थान की व्यवस्था कर रहे हैं।
  - विद्युत मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि “विद्युत वाहनों में प्रयोग के लिए बैटरी की चार्जिंग की गतिविधि लाइसेंसरहित गतिविधि है और इसलिए विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अंतर्गत इसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है”।
  - विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.12.2018 को चार्जिंग अवसंरचना के लिए व्यापक दिशानिर्देश और मानक जारी किए जिन्हें दिनांक 01.10.2019 को आगे संशोधित किया गया था और तदनन्तर दिनांक 08.06.2020 को संशोधन जारी किया गया था। चार्जिंग अवसंरचना के लिए समेकित दिशानिर्देश एवं मानक दिनांक 04.01.2022 को जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों और मानकों में निर्धारित मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:
    - (i) मौजूदा विद्युत कनेक्शनों का प्रयोग करते हुए आवास/कार्यालयों में निजी चार्जिंग की अनुमति दी गई है।
    - (ii) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) की स्थापना को लाइसेंस रहित गतिविधि का दर्जा दिया गया है और कोई व्यक्ति/कंपनी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु स्वतंत्र है बशर्ते कि संबंधित मानकों और विनियमों का पालन किया गया हो।
    - (iii) पीसीएस के लिए विद्युत की आपूर्ति का टैरिफ एकल भाग टैरिफ होगा और दिनांक 31.03.2025 तक यह “आपूर्ति की औसत लागत” से अधिक नहीं होगा।
    - (iv) ईवी के लिए पीसीएस की स्थापना हेतु संबंधित एसईआरसी/जेईआरसी की आपूर्ति संहिता के अनुसार डिस्कॉम द्वारा किए जाने वाला अपेक्षित अपस्ट्रीम अवसंरचना का संवर्धन संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के “भाग-क वितरण अवसंरचना” के अंतर्गत निधियन हेतु कवर करने के लिए पात्र होगा।
    - (v) पीसीएस की स्थापना के लिए नए अपस्ट्रीम अवसंरचना की लागत पीसीएस के स्वामी/चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर (सीपीओ) से वसूल नहीं की जाएगी।

- (vi) आवासीय सोसायटियों, मॉल, कार्यालय परिसरों, रेस्टोरेंट, होटलों आदि को इनके परिसर में आने हेतु अनुमति प्राप्त आगंतुक वाहनों की चार्जिंग सहित वाहनों की चार्जिंग के लिए पीसीएस की स्थापना की अनुमति दी गई है।
- (vii) 100% आंतरिक/कैप्टिव उपयोग के लिए चार्जिंग स्टेशन अपनी आवश्यकता अनुसार चार्जिंग विनिर्देशनों का चयन करने हेतु स्वतंत्र है।
- (viii) डिस्कॉमों को “विद्युत (उपभोक्ता का अधिकार) नियम, 2020” में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुरूप सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निदेश दिए जाते हैं।
- (ix) पीसीएस के लिए कनेक्शन मैट्रो शहरों में 7 दिन, अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन के भीतर प्रदान किए जाएंगे। उपयुक्त आयोग उक्त वर्णित सीमा से कम समय-सीमा निर्दिष्ट कर सकता है।
- (x) कोई पीसीएस/चार्जिंग स्टेशन की श्रृंखला भी खुली पहुंच के माध्यम से किसी उत्पादन कंपनी से विद्युत प्राप्त कर सकती है। इस कार्य के लिए खुली पहुंच 15 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी। केवल क्रॉस सब्सिडी प्रभार और पारिषण एवं व्हीलिंग प्रभार लागू होंगे।
- (xi) दिशानिर्देशों में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना (पीसीआई), लंबी दूरी की ईवी और/अथवा भारी ईवी के लिए पीसीआई की आवश्यकता, पीसीएस के स्थान, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के डेटाबेस ईवी पीसीएस की विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और पीसीएस पर सेवा प्रभार के ब्यौरे भी शामिल हैं।
- (xii) विभिन्न प्रकार के चार्जों के लिए तकनीकी मानक, शहरों में और राजमार्गों के निकट सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना (पीसीआई) के वितरण के लिए मानक, केन्द्रीय नोडल एजेंसी की स्थापना और पीसीआई के चरणबद्ध रोल आउट को भी निरूपित किया गया है।
- (xiii) भूमि के किराए और प्रभारों की अधिक लागत के कारण दिशानिर्देशों में पीसीएस के लिए प्रोत्साहक दरों पर भूमि के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। सरकार/सार्वजनिक कंपनियों के पास उपलब्ध भूमि सरकार/सार्वजनिक कंपनी को, 1 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच (चार्जिंग के लिए प्रयुक्त) की निश्चित दर पर राजस्व सहभागिता आधार पर प्रदान की जाएगी जिसका भुगतान भूमि स्वामित्व एजेंसी को आरंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।
- (xiv) आदेश में ईवी पीसीआई के रोल आउट की प्राथमिकता का भी वर्णन किया गया है। इसके अनुसार, चरण-I (1-3 वर्ष) में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले सभी मेगा शहर शामिल हैं, कवरेज के लिए इन मेगा शहरों से जुड़े सभी मौजूदा एक्सप्रेसवेज और प्रत्येक मेगा शहर से जुड़े महत्वपूर्ण राजमार्गों को शामिल किया जाए। चरण-II (3-5 वर्ष) में राज्य की राजधानियों जैसे बड़े शहरों को शामिल किया गया है, वितरित और प्रदर्शनात्मक प्रभाव के लिए यूटी मुख्यालयों को भी शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मेगा शहर से जुड़े महत्वपूर्ण राजमार्गों को भी शामिल किया जाएगा।
- (xv) दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि 3 किमीx3 किमी की ग्रिड में कम से कम 1 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राजमार्गों/सड़कों को दोनों ओर प्रत्येक 25 किमी पर 1 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाए। लंबी दूरी की ईवीज और भारी ईवीज के लिए प्रत्येक 100 किमी पर कम से कम 1 चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 327 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**फेम-II योजना के तहत दिल्ली एनसीआर को आवंटित सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन**

| क्र.सं.   | राज्य        | शहर                    | फेम-II के अंतर्गत ईवी चार्जिंग स्टेशन (सं.) |
|-----------|--------------|------------------------|---|
| 1         | दिल्ली       | दिल्ली                 | 32  |
|           |              |                        | 40  |
| 2         | हरियाणा      | गुरुग्राम              | 30  |
|           |              | सीनीपत                 | 10  |
|           |              | करनाल                  | 10  |
| 3         | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) | 55  |
| कुल (सं.) |              |                        | 177   |

**दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन निम्नानुसार हैं:**

| क्र.सं. | राज्य  | शहर    | पीसीएस की स्थिति   |
|---------|--------|--------|--|
| 1       | दिल्ली | दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग, आर ब्लॉक, जीके-1, दिल्ली-110016   |
| 2       | दिल्ली | दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग, एसडीए मार्केट, हौज खास, नई दिल्ली, दिल्ली 110016  |
| 3       | दिल्ली | दिल्ली | ईईएसएल फिरोज गांधी रोड, लाजपत नगर, एसडीएमसी पार्किंग, नई दिल्ली  |
| 4       | दिल्ली | दिल्ली | ईईएसएल पीवीआर प्रिया वसंत विहार, एसडीएमसी पार्किंग नई दिल्ली, गोल्ड के जिम के पास                                      |
| 5       | दिल्ली | दिल्ली | ईईएसएल मेहरचंद डबल मंजिला मार्केट, एसडीएमसी पार्किंग, नई दिल्ली  |
| 6       | दिल्ली | दिल्ली | केआरडीसी पर्यटक स्वागत केंद्र षण्मुगम रोड, एर्नाकुलम, मरीन ड्राइव, कोच्चि, केरल-682031                                 |
| 7       | दिल्ली | दिल्ली | ईईएसएल एन-ब्लॉक जीके-1, एसडीएमसी पार्किंग, नई दिल्ली   |
| 8       | दिल्ली | दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग, आर ब्लॉक, जीके-1, दिल्ली-110016   |
| 9       | दिल्ली | दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग, एसडीए मार्केट, हौज खास, नई दिल्ली, दिल्ली 110016  |
| 10      | दिल्ली | दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग, बी6, सफदरजंग एन्क्लेव   |
| 11      | दिल्ली | दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग, अरबिंदो मार्केट प्लेस, हौज खास, नई दिल्ली, दिल्ली 110016  |
| 12      | दिल्ली | दिल्ली | सुषमा स्वराज भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली  |
| 13      | दिल्ली | दिल्ली | ईईएसएल पीवीआर प्रिया वसंत विहार, एसडीएमसी पार्किंग नई दिल्ली, प्लॉट 7 के पास   |
| 14      | दिल्ली | दिल्ली | ईईएसएल जे-ब्लॉक, मालवीय नगर, पार्किंग नई दिल्ली  |
| 15      | दिल्ली | दिल्ली | ईईएसएल जे-ब्लॉक, मालवीय नगर, पार्किंग नई दिल्ली  |
| 16      | दिल्ली | दिल्ली | पृथ्वीराज मार्केट, रवींद्र नगर, नई दिल्ली- 110003  |
| 17      | दिल्ली | दिल्ली | आरडब्ल्यूए पार्क के बाहर, जोर बाग मार्केट, जोर बाग कॉलोनी रोड, नई दिल्ली- 110003                                       |
| 18      | दिल्ली | दिल्ली | डोरी फार्मसी के सामने, खन्ना मार्केट, अलीगंज, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली- 110003   |
| 19      | दिल्ली | दिल्ली | गोयल ऑप्टिकल के सामने, खन्ना मार्केट, अलीगंज, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली- 110003   |
| 20      | दिल्ली | दिल्ली | धर्म मार्ग, ब्लॉक वाई, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, मालचा मार्केट, नई दिल्ली- 110021  |
| 21      | दिल्ली | दिल्ली | वेस्टएंड वेदी टेलर्स के बाहर, बॉक एम, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001                                       |
| 22      | दिल्ली | दिल्ली | एनडीएमसी कार्यालय के पास, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंभा, नई दिल्ली- 110001  |
| 23      | दिल्ली | दिल्ली | एचडीएफसी बैंक के सामने, एम-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001  |
| 24      | दिल्ली | दिल्ली | ओरिएंटल बैंक के बाहर, रेडियल रोड नंबर 7, ब्लॉक एम, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001                                       |
| 25      | दिल्ली | दिल्ली | एनडीएमसी पार्किंग, फर्न्स एन पेटल्स के पास, बीपीसीएल पेट्रोल पंप के पास, सी ब्लॉक आरआर5, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 |
| 26      | दिल्ली | दिल्ली | एनडीएमसी पार्किंग, क्रोमा के पास, डी ब्लॉक आरआर5, बीपीसीएल पेट्रोल पंप के सामने, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001         |
| 27      | दिल्ली | दिल्ली | पीवीआर प्लाजा के पास, एच ब्लॉक आरआर4, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001  |
| 28      | दिल्ली | दिल्ली | वुडलैंड शोरूम के पास, ब्लॉक बी, इनर सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001  |
| 29      | दिल्ली | दिल्ली | एचपी पेट्रोल पंप के सामने, ब्लॉक ई, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001   |
| 30      | दिल्ली | दिल्ली | स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बाहर, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001   |
| 31      | दिल्ली | दिल्ली | इकबाल ब्रदर्स के बाहर, जी1, ब्लॉक जी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001  |
| 32      | दिल्ली | दिल्ली | भारत संचार भवन के बाहर, अशोक रोड, जनपथ, नई दिल्ली- 110001  |
| 33      | दिल्ली | दिल्ली | फिक्की, फिक्की चौक, मंडी हाउस, टोडरमल रोड एरिया, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001   |
| 34      | दिल्ली | दिल्ली | प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, 1, रायसीना रोड, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली 110001   |
| 35      | दिल्ली | दिल्ली | स्नो व्हाइट के पास, ब्लॉक डी, इनर सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001  |
| 36      | दिल्ली | दिल्ली | वैन ह्यूसेन शोरूम के बाहर, ब्लॉक सी, इनर सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001   |
| 37      | दिल्ली | दिल्ली | देविंदर कलेक्शंस के बाहर, शंकर मार्केट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001  |
| 38      | दिल्ली | दिल्ली | आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001   |
| 39      | दिल्ली | दिल्ली | चेम्सफोर्ड क्लब के बाहर/सीएसआर बिल्डिंग के सामने, रफी मार्ग, संसद मार्ग क्षेत्र, नई दिल्ली 110001                      |
| 40      | दिल्ली | दिल्ली | यशवंत प्लेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021   |



|     |        |        |   |
|-----|--------|--------|---|
| 41  | दिल्ली | दिल्ली | आइवरी मार्ट के सामने, एफ ब्लॉक, इनर सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001                           |
| 42  | दिल्ली | दिल्ली | बीकानेरवाला के पास, यशवंत प्लेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021                                    |
| 43  | दिल्ली | दिल्ली | धर्म मार्ग, ब्लॉक वाई, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, मालचा मार्केट, नई दिल्ली- 110021                     |
| 44  | दिल्ली | दिल्ली | लक्ष्मी बाई मार्केट, सफदरजंग फ्लाइओवर, नई दिल्ली  |
| 45  | दिल्ली | दिल्ली | आईसीसी बैंक/मेट्रो गेट नंबर 7 और 8 के पास, ब्लॉक ए, इनर सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001       |
| 46  | दिल्ली | दिल्ली | सरोजिनी नगर मार्केट, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली- 110023   |
| 47  | दिल्ली | दिल्ली | गोपाल दास बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कनॉट लेन, बाराखंभा, नई दिल्ली 110001                            |
| 48  | दिल्ली | दिल्ली | जैन भवन के बाहर, 12 शहीद भगत सिंह मार्ग, गोले मार्केट, नई दिल्ली- 110001                          |
| 49  | दिल्ली | दिल्ली | होटल क्लेरिज के किनारे, तीस जनवरी मार्ग, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली- 110003              |
| 50  | दिल्ली | दिल्ली | इंडियन कॉफी हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली   |
| 51  | दिल्ली | दिल्ली | खान मार्केट, रवीन्द्र नगर, नई दिल्ली- 110003  |
| 52  | दिल्ली | दिल्ली | चरक पालिका अस्पताल, सी7 लेन, मोती बाग 1, ब्लॉक एफ, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली 110021                |
| 53  | दिल्ली | दिल्ली | होटल क्लेरिजेस, तीस जनवरी मार्ग, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली- 110003                      |
| 54  | दिल्ली | दिल्ली | जनपथ गेस्ट हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली  |
| 55  | दिल्ली | दिल्ली | खान मार्केट, रवीन्द्र नगर, नई दिल्ली- 110003  |
| 56  | दिल्ली | दिल्ली | यूको बैंक के बाहर, ब्लॉक एच, आरआर3, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली   |
| 57  | दिल्ली | दिल्ली | चरक पालिका अस्पताल, सी7 लेन, मोती बाग 1, ब्लॉक एफ, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली 110021                |
| 58  | दिल्ली | दिल्ली | साउथ इंडियन बैंक के सामने, ब्लॉक ई, आरआर6, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001             |
| 59  | दिल्ली | दिल्ली | चेम्सफोर्ड क्लब के बाहर/सीएसआर बिल्डिंग के सामने, रफी मार्ग, संसद मार्ग क्षेत्र, नई दिल्ली 110001 |
| 60  | दिल्ली | दिल्ली | चेम्सफोर्ड क्लब के बाहर/सीएसआर बिल्डिंग के सामने, रफी मार्ग, संसद मार्ग क्षेत्र, नई दिल्ली 110001 |
| 61  | दिल्ली | दिल्ली | साई क्लब, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021  |
| 62  | दिल्ली | दिल्ली | चेम्सफोर्ड क्लब के बाहर/सीएसआर बिल्डिंग के सामने, रफी मार्ग, संसद मार्ग क्षेत्र, नई दिल्ली 110001 |
| 63  | दिल्ली | दिल्ली | चेम्सफोर्ड क्लब के बाहर/सीएसआर बिल्डिंग के सामने, रफी मार्ग, संसद मार्ग क्षेत्र, नई दिल्ली 110001 |
| 64  | दिल्ली | दिल्ली | साई क्लब, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021  |
| 65  | दिल्ली | दिल्ली | चेम्सफोर्ड क्लब के बाहर/सीएसआर बिल्डिंग के सामने, रफी मार्ग, संसद मार्ग क्षेत्र, नई दिल्ली 110001 |
| 66  | दिल्ली | दिल्ली | गेट नंबर 1, लोधी गार्डन, लोधी एस्टेट, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003                                  |
| 67  | दिल्ली | दिल्ली | तालकटोरा स्टेडियम, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली 110004   |
| 68  | दिल्ली | दिल्ली | तालकटोरा स्टेडियम, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली 110004   |
| 69  | दिल्ली | दिल्ली | डीएलएफ बिल्डिंग, संसद मार्ग, जनपथ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 1100011                                  |
| 70  | दिल्ली | दिल्ली | तालकटोरा गार्डन, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली 110004   |
| 71  | दिल्ली | दिल्ली | तालकटोरा गार्डन, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली 110004   |
| 72  | दिल्ली | दिल्ली | एनएमडीसी पार्किंग, दिल्ली हाट, पश्चिम किदवई नगर, नई दिल्ली 110023                                 |
| 73  | दिल्ली | दिल्ली | पालिका प्रसूति अस्पताल, ब्लॉक 11, लोधी कॉलोनी, खन्ना मार्केट के पास, नई दिल्ली 110003             |
| 74  | दिल्ली | दिल्ली | गेट नंबर 1, लोधी गार्डन, लोधी एस्टेट, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003                                  |
| 75  | दिल्ली | दिल्ली | एनएमडीसी पार्किंग, दिल्ली हाट, पश्चिम किदवई नगर, नई दिल्ली 110023                                 |
| 76  | दिल्ली | दिल्ली | एनएमडीसी पार्किंग, दिल्ली हाट, पश्चिम किदवई नगर, नई दिल्ली 110023                                 |
| 77  | दिल्ली | दिल्ली | चार्जर 4, सी/ओ एसडीएमसी, जीके-1 एन ब्लॉक मार्केट, नई दिल्ली, दिल्ली - 110048                      |
| 78  | दिल्ली | दिल्ली | चार्जर 5, सी/ओ एसडीएमसी, जीके-1 एन ब्लॉक मार्केट, नई दिल्ली, दिल्ली - 110048                      |
| 79  | दिल्ली | दिल्ली | ईवी पार्किंग स्लॉट 5, एसडीएमसी पार्किंग, एन ब्लॉक मार्केट, गेटर कैलाश - 1, 110048                 |
| 80  | दिल्ली | दिल्ली | ईवी पार्किंग स्लॉट 2, एसडीएमसी पार्किंग, हौज खास विलेज, हौज खास -1, 110016                        |
| 81  | दिल्ली | दिल्ली | सी/ओ एसडीएमसी हौज खास गांव नई दिल्ली, दिल्ली - 110016   |
| 82  | दिल्ली | दिल्ली | चार्जर 6, सी/ओ एसडीएमसी, जीके-1 एन ब्लॉक मार्केट, नई दिल्ली, दिल्ली - 110048                      |
| 83  | दिल्ली | दिल्ली | ईवी पार्किंग स्लॉट 3-5, एसडीएमसी पार्किंग, एन ब्लॉक मार्केट, गेटर कैलाश - 1, 110048               |
| 84  | दिल्ली | दिल्ली | सी/ओ एसडीएमसी हौज खास गांव नई दिल्ली, दिल्ली - 110016   |
| 85  | दिल्ली | दिल्ली | पीवीआर प्रिया वसंत विहार  |
| 86  | दिल्ली | दिल्ली | मेहरचंद डबल मंजिला मार्केट  |
| 87  | दिल्ली | दिल्ली | मेहरचंद डबल मंजिला मार्केट  |
| 88  | दिल्ली | दिल्ली | आरके पुरम सेक्टर 12 मार्केट   |
| 89  | दिल्ली | दिल्ली | आरके पुरम सेक्टर 12 मार्केट   |
| 90  | दिल्ली | दिल्ली | नेहरू प्लेस प्लॉट 81-85, एसडीएमसी नई दिल्ली   |
| 91  | दिल्ली | दिल्ली | नेहरू प्लेस प्लॉट 81-85, एसडीएमसी नई दिल्ली   |
| 92  | दिल्ली | दिल्ली | ईईएसएल एच-ब्लॉक, सरिता विहार, एसडीएमसी पार्किंग नई दिल्ली   |
| 93  | दिल्ली | दिल्ली | ईईएसएल, प्लॉट 81-85, नेहरू प्लेस, एसडीएमसी पार्किंग, नई दिल्ली                                    |
| 94  | दिल्ली | दिल्ली | ईवी पार्किंग स्लॉट 5, एसडीएमसी पार्किंग, एन ब्लॉक मार्केट, गेटर कैलाश -1, 110048                  |
| 95  | दिल्ली | दिल्ली | ईवी पार्किंग स्लॉट 2, एसडीएमसी पार्किंग, हौज खास विलेज, हौज खास -1, 110016                        |
| 96  | दिल्ली | दिल्ली | चार्जर 2, एसडीएमसी पार्किंग, हौज खास विलेज, नई दिल्ली   |
| 97  | दिल्ली | दिल्ली | ईईएसएल पीवीआर प्रिया वसंत विहार, एसडीएमसी पार्किंग नई दिल्ली, गोल्ड के जिम के पास                 |
| 98  | दिल्ली | दिल्ली | सी/ओ एसडीएमसीसी, द्वारका सेक्टर 6 मार्केट, नई दिल्ली  |
| 99  | दिल्ली | दिल्ली | सी/ओ एसडीएमसी, जनक सीसी, जनकपुरी, नई दिल्ली   |
| 100 | दिल्ली | दिल्ली | सी/ओ एसडीएमसी हौज खास गांव, नई दिल्ली, दिल्ली - 110016  |

|     |        |        |  |
|-----|--------|--------|--|
| 101 | दिल्ली | दिल्ली | सी/ओ एसडीएमसी हौज खास गांव, नई दिल्ली, दिल्ली - 110016   |
| 102 | दिल्ली | दिल्ली | गेट नंबर 1, लोधी गार्डन, लोधी एस्टेट, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003   |
| 103 | दिल्ली | दिल्ली | गेट नंबर 1, लोधी गार्डन, लोधी एस्टेट, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003   |
| 104 | दिल्ली | दिल्ली | होटल क्लेरिज, तीस जनवरी मार्ग, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली- 110003   |
| 105 | दिल्ली | दिल्ली | एनडीएमसी ऑफिस सब स्टेशन के पीछे, होटल क्लेरिज, तीस जनवरी मार्ग, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली- 110003         |
| 106 | दिल्ली | दिल्ली | आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001   |
| 107 | दिल्ली | दिल्ली | आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001   |
| 108 | दिल्ली | दिल्ली | फिक्की, फिक्की चौक, मंडी हाउस  |
| 109 | दिल्ली | दिल्ली | एनडीएमसी कार्यालय के पास, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंभा, नई दिल्ली- 110001  |
| 110 | दिल्ली | दिल्ली | एनडीएमसी कार्यालय के पास, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंभा, नई दिल्ली- 110001  |
| 111 | दिल्ली | दिल्ली | तालकटोरा स्टेडियम, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली 110004  |
| 112 | दिल्ली | दिल्ली | तालकटोरा गार्डन, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली 110004  |
| 113 | दिल्ली | दिल्ली | तारा मंडल नेहरू तारामंडल, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 114 | दिल्ली | दिल्ली | नेहरू पार्क, एनडीएमसी, नई दिल्ली   |
| 115 | दिल्ली | दिल्ली | नेताजी नगर, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 116 | दिल्ली | दिल्ली | काली मंदिर लेन, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 117 | दिल्ली | दिल्ली | महात्मा गांधी स्मृति, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 118 | दिल्ली | दिल्ली | लोधी गार्डन गेट नंबर 4   |
| 119 | दिल्ली | दिल्ली | एनडीएमसी भारत घर के बाहर, चाणक्यपुर, एनडीएमसी, नई दिल्ली   |
| 120 | दिल्ली | दिल्ली | तालकटोरा गार्डन, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली 110004  |
| 121 | दिल्ली | दिल्ली | तालकटोरा स्टेडियम, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली 110004  |
| 122 | दिल्ली | दिल्ली | महात्मा गांधी स्मृति, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 123 | दिल्ली | दिल्ली | महात्मा गांधी स्मृति, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 124 | दिल्ली | दिल्ली | महात्मा गांधी स्मृति, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 125 | दिल्ली | दिल्ली | नेताजी नगर, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 126 | दिल्ली | दिल्ली | नेताजी नगर, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 127 | दिल्ली | दिल्ली | नेताजी नगर, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 128 | दिल्ली | दिल्ली | काली मंदिर लेन, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 129 | दिल्ली | दिल्ली | काली मंदिर लेन, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 130 | दिल्ली | दिल्ली | काली मंदिर लेन, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 131 | दिल्ली | दिल्ली | तारा मंडल नेहरू तारामंडल, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 132 | दिल्ली | दिल्ली | तारा मंडल नेहरू तारामंडल, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 133 | दिल्ली | दिल्ली | तारा मंडल नेहरू तारामंडल, एनडीएमसी, नई दिल्ली  |
| 134 | दिल्ली | दिल्ली | नेहरू पार्क, एनडीएमसी, नई दिल्ली   |
| 135 | दिल्ली | दिल्ली | नेहरू पार्क, एनडीएमसी, नई दिल्ली   |
| 136 | दिल्ली | दिल्ली | नेहरू पार्क, एनडीएमसी, नई दिल्ली   |
| 137 | दिल्ली | दिल्ली | एनडीएमसी भारत घर के बाहर, चाणक्यपुर, एनडीएमसी, नई दिल्ली   |
| 138 | दिल्ली | दिल्ली | लोधी गार्डन गेट नंबर 4   |
| 139 | दिल्ली | दिल्ली | लोधी गार्डन गेट नंबर 4   |
| 140 | दिल्ली | दिल्ली | लोधी गार्डन गेट नंबर 4   |
| 141 | दिल्ली | दिल्ली | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर 27: कैम्ब्रिज स्कूल, नोएडा जीबी नगर, उत्तर प्रदेश - 201301                          |
| 142 | दिल्ली | दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग, पीवीआर अनुपम साकेत, नई दिल्ली   |
| 143 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 144 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 145 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 146 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 147 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 148 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 149 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 150 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 151 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 152 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 153 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 154 | दिल्ली | दिल्ली | राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पिक लाइन   |
| 155 | दिल्ली | दिल्ली | राजस्थान हाईवे सर्विस स्टेशन, आईओसी पेट्रोल पंप, 13/5, दिल्ली गुडगांव रोड, कापसहेड़ा बॉर्डर, दिल्ली, दिल्ली - 110021 |
| 156 | दिल्ली | दिल्ली | राजस्थान हाईवे सर्विस स्टेशन, आईओसी पेट्रोल पंप, 13/5, दिल्ली गुडगांव रोड, कापसहेड़ा बॉर्डर, दिल्ली, दिल्ली - 110021 |
| 157 | दिल्ली | दिल्ली | वसंत कुंज मार्ग, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास   |
| 158 | दिल्ली | दिल्ली | वसंत कुंज मार्ग, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास   |

|     |        |        |  |
|-----|--------|--------|--|
| 159 | दिल्ली | दिल्ली | वसंत कुंज मार्ग, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास                       |
| 160 | दिल्ली | दिल्ली | वसंत कुंज मार्ग, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास                       |
| 161 | दिल्ली | दिल्ली | वसंत कुंज मार्ग, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास                       |
| 162 | दिल्ली | दिल्ली | वसंत कुंज मार्ग, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास                       |
| 163 | दिल्ली | दिल्ली | वसंत कुंज मार्ग, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास                       |
| 164 | दिल्ली | दिल्ली | वसंत कुंज मार्ग, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास                       |
| 165 | दिल्ली | दिल्ली | वसंत कुंज मार्ग, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास                       |
| 166 | दिल्ली | दिल्ली | वसंत कुंज मार्ग, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास                       |
| 167 | दिल्ली | दिल्ली | मॉडल को-ऑप सोसाइटी - कापसहेड़ा बॉर्डर, दिल्ली                      |
| 168 | दिल्ली | दिल्ली | मॉडल को-ऑप सोसाइटी - कापसहेड़ा बॉर्डर, दिल्ली                      |
| 169 | दिल्ली | दिल्ली | आनंद सर्विस स्टेशन, एनएच-8, रेडिसन होटल के पास, रंगपुरी, महिपालपुर |
| 170 | दिल्ली | दिल्ली | आनंद सर्विस स्टेशन, एनएच-8, रेडिसन होटल के पास, रंगपुरी, महिपालपुर |
| 171 | दिल्ली | दिल्ली | एचपीसीएल बेदी मोटर्स रेस कोर्स रोड                                 |
| 172 | दिल्ली | दिल्ली | एचपीसीएल बेदी मोटर्स रेस कोर्स रोड                                 |
| 173 | दिल्ली | दिल्ली | एचपीसीएल बत्रा कार केयर, हुमायूं रोड                               |
| 174 | दिल्ली | दिल्ली | एचपीसीएल बत्रा कार केयर, हुमायूं रोड                               |
| 175 | दिल्ली | दिल्ली | आईओसीएल पारस ऑटोमोबाइल, बिजवासन                                    |
| 176 | दिल्ली | दिल्ली | आईओसीएल पारस ऑटोमोबाइल, बिजवासन                                    |
| 177 | दिल्ली | दिल्ली | आईओसीएल गुरु सर्विस स्टेशन, सेक्टर 12 द्वारका                      |
| 178 | दिल्ली | दिल्ली | आईओसीएल गुरु सर्विस स्टेशन, सेक्टर 12 द्वारका                      |
| 179 | दिल्ली | दिल्ली | ऑटो केयर, नीति मार्ग   |
| 180 | दिल्ली | दिल्ली | ऑटो केयर, नीति मार्ग   |
| 181 | दिल्ली | दिल्ली | ओम सर्विस स्टेशन, सिंघू बॉर्डर                                     |
| 182 | दिल्ली | दिल्ली | ओम सर्विस स्टेशन, सिंघू बॉर्डर                                     |
| 183 | दिल्ली | दिल्ली | एनटीपीसी बदरपुर - इको पार्क  |
| 184 | दिल्ली | दिल्ली | एनटीपीसी बदरपुर - इको पार्क  |
| 185 | दिल्ली | दिल्ली | अजीत मोटर्स, इंडियनऑयल आरओ   |
| 186 | दिल्ली | दिल्ली | स्पीडवे, इंडियनऑयल आरओ   |
| 187 | दिल्ली | दिल्ली | गोल्डन गोल, इंडियनऑयल आरओ  |
| 188 | दिल्ली | दिल्ली | कपूर ऑटो सर्विस स्टेशन, इंडियनऑयल आरओ                              |
| 189 | दिल्ली | दिल्ली | लोटस ऑटोमोबाइल, इंडियनऑयल आरओ                                      |
| 190 | दिल्ली | दिल्ली | महेंद्र सर्विस स्टेशन, इंडियनऑयल आरओ                               |
| 191 | दिल्ली | दिल्ली | चाणक्यपुरी स्टेशन, इंडियनऑयल आरओ                                   |
| 192 | दिल्ली | दिल्ली | राम मूर्ति फ्यूल्स, इंडियनऑयल आरओ                                  |
| 193 | दिल्ली | दिल्ली | आशीष सर्विसेज, इंडियनऑयल आरओ                                       |
| 194 | दिल्ली | दिल्ली | कार केयर, इंडियनऑयल आरओ  |
| 195 | दिल्ली | दिल्ली | सुपर ऑटो, इंडियनऑयल आरओ  |
| 196 | दिल्ली | दिल्ली | मिलेनियम पेट्रोकेयर, इंडियनऑयल आरओ                                 |
| 197 | दिल्ली | दिल्ली | सेंटर हाफ सर्विस स्टेशन  |
| 198 | दिल्ली | दिल्ली | इंजीनियर सर्विस स्टेशन   |
| 199 | दिल्ली | दिल्ली | खैबर सर्विस स्टेशन   |
| 200 | दिल्ली | दिल्ली | जिंदल एस स्टेशन  |
| 201 | दिल्ली | दिल्ली | राजस्थान राजपथ एस स्टेशन   |
| 202 | दिल्ली | दिल्ली | गुरु सर्विस स्टेशन   |
| 203 | दिल्ली | दिल्ली | पारस ऑटोमोबाइल्स   |
| 204 | दिल्ली | दिल्ली | देवसेना  |
| 205 | दिल्ली | दिल्ली | सेठी ऑटो   |
| 206 | दिल्ली | दिल्ली | सतबीर ऑटो  |
| 207 | दिल्ली | दिल्ली | इरविन रोड एस स्टेशन  |
| 208 | दिल्ली | दिल्ली | राजस्थान हाईवे   |
| 209 | दिल्ली | दिल्ली | मूलचंद मोटर्स- वसंत विहार  |
| 210 | दिल्ली | दिल्ली | अजीत मोटर्स  |
| 211 | दिल्ली | दिल्ली | स्पीडवेज   |
| 212 | दिल्ली | दिल्ली | किंगसवे सर्विस स्टेशन  |
| 213 | दिल्ली | दिल्ली | सत्या सर्विस स्टेशन जनकपुरी  |
| 214 | दिल्ली | दिल्ली | वृश्चिक पेट्रो, सेक्टर 12, द्वारका                                 |
| 215 | दिल्ली | दिल्ली | अरोड़ा, पीतमपुर  |
| 216 | दिल्ली | दिल्ली | प्रियंका फिलिंग स्टेशन, रोहिणी                                     |
| 217 | दिल्ली | दिल्ली | दिल्ली डीजल  |
| 218 | दिल्ली | दिल्ली | सत्य एस स्टेशन   |

|     |        |                  |   |
|-----|--------|------------------|---|
| 219 | दिल्ली | दिल्ली           | गोल्डन गोल एस स्टेशन  |
| 220 | दिल्ली | दिल्ली           | संजीव फिलिंग स्टेशन   |
| 221 | दिल्ली | दिल्ली           | वेलकम मोटर्स  |
| 222 | दिल्ली | दिल्ली           | भसीन सर्विस स्टेशन  |
| 223 | दिल्ली | दिल्ली           | उन्नीसवां होल सर्विस स्टेशन   |
| 224 | दिल्ली | दिल्ली           | सबरवाल सर्विस स्टेशन  |
| 225 | दिल्ली | दिल्ली           | कोको मस्जिद मोठ   |
| 226 | दिल्ली | दिल्ली           | सौ प्रतिशत एफ स्टेशन  |
| 227 | दिल्ली | दिल्ली           | रमेश एस सो  |
| 228 | दिल्ली | दिल्ली           | इंटीमेट सर्विस स्टेशन   |
| 229 | दिल्ली | दिल्ली           | राजकुमार सर्विस स्टेशन  |
| 230 | दिल्ली | दिल्ली           | रश्मि ऑटो   |
| 231 | दिल्ली | दिल्ली           | आर के सर्विस स्टेशन   |
| 232 | दिल्ली | दिल्ली           | जय साई मोटरसोखला  |
| 233 | दिल्ली | दिल्ली           | वेलकम मोटर्स  |
| 234 | दिल्ली | दिल्ली           | अमन फिल प्वाइंट   |
| 235 | दिल्ली | दिल्ली           | सिटी ऑटो, रोहिणी  |
| 236 | दिल्ली | दिल्ली           | चित्रा सर्विस स्टेशन, द्वारका   |
| 237 | दिल्ली | दिल्ली           | जी के सर्विसेज  |
| 238 | दिल्ली | दिल्ली           | गंगा पेट्रो   |
| 239 | दिल्ली | दिल्ली           | सिटी सर्विस सेंटर   |
| 240 | दिल्ली | दिल्ली           | फॉर्च्यून एस एस   |
| 241 | दिल्ली | दिल्ली           | बदस पेट्रो  |
| 242 | दिल्ली | दिल्ली           | सिटी फ्यूल  |
| 243 | दिल्ली | दिल्ली           | खैरवाल पेट्रोलियम   |
| 244 | दिल्ली | दिल्ली           | गे सर्विस स्टेशन  |
| 245 | दिल्ली | दिल्ली           | लोटस ऑटोमोबाइल  |
| 246 | दिल्ली | दिल्ली           | राम मूर्ति फ्यूल्स  |
| 247 | दिल्ली | दिल्ली           | चाणक्यपुरी स्टेशन   |
| 248 | दिल्ली | दिल्ली           | कोको नीति मार्ग   |
| 249 | दिल्ली | दिल्ली           | कोको जंगपुरा  |
| 250 | दिल्ली | दिल्ली           | सर्विस सर्कल आश्रम चौक  |
| 251 | दिल्ली | दिल्ली           | बत्रा कार केयर चाणक्यपुरी   |
| 252 | दिल्ली | दिल्ली           | बेदी मोटर चाणक्यपुरी  |
| 253 | दिल्ली | दिल्ली           | ऑटो केयर सेंटर नितीमर्ग   |
| 254 | दिल्ली | दिल्ली           | आनंद सर्विस स्टेशन महिपालपुर  |
| 255 | दिल्ली | दिल्ली           | ओम सर्विस स्टेशन सिंह बॉर्डर  |
| 256 | दिल्ली | दिल्ली           | एसोसिएटेड सर्विस स्टेशन अलीपुर रोड  |
| 257 | दिल्ली | केन्द्रीय दिल्ली | ब्लॉक बी राम, रोड, मोती नगर   |
| 258 | दिल्ली | केन्द्रीय दिल्ली | नई दिल्ली, रेलवे स्टेशन, पहाड़ गंज साइड सर्कुलेशन एरिया   |
| 259 | दिल्ली | केन्द्रीय दिल्ली | डॉ एसपीएम सिविक सेंटर, मिंटो रोड, एसकेडी बस्ती, प्रेस एन्क्लेव, अजमेरी गेट, नई दिल्ली, दिल्ली, 110002   |
| 260 | दिल्ली | पूर्वी दिल्ली    | गेट नंबर 2, आनंद विहार बस टर्मिनल, दिल्ली- 110092   |
| 261 | दिल्ली | पूर्वी दिल्ली    | एग्जिट गेट, क्रॉस रिवर मॉल सीबीडी, दिल्ली - 110032  |
| 262 | दिल्ली | पूर्वी दिल्ली    | सी-23 वेस्ट विनोद नगर, नरवाना रोड, के सामने। सरस्वती कुंज Appt. आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110092 |
| 263 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | दक्षिण दिल्ली   |
| 264 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | दिल्ली-मथुरा क्रॉसिंग, रिंग रोड, महारानी बाग, आश्रम चौक के पास, नई दिल्ली, दिल्ली 110014                |
| 265 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | निजामुद्दीन, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली, दिल्ली 110013   |
| 266 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | दक्षिण दिल्ली   |
| 267 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | रोड नंबर 237, जेजे कॉलोनी, उत्तम नगर, दिल्ली, 110059  |
| 268 | दिल्ली | पश्चिमी दिल्ली   | कोस मीनार रोड, जसोला, नई दिल्ली, दिल्ली 110025  |
| 269 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | एनडीएसई गिड, बीआरपीएल साउथ एक्सटेंशन  |
| 270 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | स्काडा कार्यालय कालका जी  |
| 271 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | आश्रम चौक मथुरा रोड   |
| 272 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन  |
| 273 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | बी एस एस प्रधान कार्यालय भवन नेहरू प्लेस  |
| 274 | दिल्ली | पश्चिमी दिल्ली   | उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन  |
| 275 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | मुक्तेश्वर धाम अंधेरिया बाग, महरोली   |
| 276 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | कापसहेड़ा एस्टेट, वसंत कुन्जो   |
| 277 | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली   | कोटला मैयाम ग्राम, जसोला, एनएफसी  |

|     |         |                |  |
|-----|---------|----------------|--|
| 278 | दिल्ली  | पश्चिमी दिल्ली | स्कॉपियो पेट्रो, सेक्टर 18 ए, आईजीएल सीएनजी स्टेशन के पास, द्वारका                         |
| 279 | दिल्ली  | पश्चिमी दिल्ली | सत्य सर्विस स्टेशन, इंडेन ऑयल पेट्रोल ओम स्वीट्स के पास, जेल रोड हरिनगर                    |
| 280 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | पॉकेट -5, सेक्टर बी वसंत स्ववायर मॉल, वसंत कुंज मार्ग दक्षिण दिल्ली -110070                |
| 281 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | पार्किंग जामिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन, दक्षिणी दिल्ली -110025                            |
| 282 | दिल्ली  | पश्चिमी दिल्ली | बेसमेंट 1 और 2 जिला केंद्र जनकपुरी दिल्ली के नीचे 110058                                   |
| 283 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग, डिफेंस कॉलोनी, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002                            |
| 284 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग कमल सिनेमा, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110016                           |
| 285 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग, सपना सिनेमा, नई दिल्ली-110065   |
| 286 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग, मैक्स अस्पताल, साकेत, नई दिल्ली-  |
| 287 | दिल्ली  | पश्चिमी दिल्ली | प्लॉट 64,65 ख 109/11 ब्लाक-बी शॉप गली नंबर 21 भारत विहार राजा पुरी यू नगर नई दिल्ली 110059 |
| 288 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | ब्लॉक-बी, बी-6 मार्केट -सफदरजंग एन्क्लेव - नई दिल्ली 110029                                |
| 289 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | डीटीडीसी कार्यालय डिफेंस कॉलोनी दिल्ली 110024  |
| 290 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | सामुदायिक केंद्र 61 बसंत नगर बसंत लोक दिल्ली 110027  |
| 291 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | स्पीडवेज सर्विस सेंटर आईओसीएल पंप जेल रोड हरि नगर मायापुरी दिल्ली के सामने 110064          |
| 292 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग ग्रीन पार्क साइट -2 मार्केट नियर हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक दिल्ली 110016      |
| 293 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | एसडीएमसी पार्किंग जीके-1 ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक मार्केट दिल्ली 110048                       |
| 294 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | नगर- भाग 3 लाजपत रिंग रोड ए ब्लॉक बस स्टॉप दिल्ली के पास 110024                            |
| 295 | दिल्ली  | दक्षिणी दिल्ली | एक्सटेंशन-1 साउथ रिंग रोड जे ब्लॉक बस स्टॉप दिल्ली के पास 110049                           |
| 296 | दिल्ली  | दिल्ली         | नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहाड़ गंजो   |
| 297 | दिल्ली  | दिल्ली         | नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट   |
| 298 | दिल्ली  | दिल्ली         | आनंद विहार रेलवे स्टेशन  |
| 299 | दिल्ली  | दिल्ली         | खोसला कैपिटल सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड  |
| 300 | दिल्ली  | दिल्ली         | शक्ति किरण बिल्डिंग  |
| 301 | दिल्ली  | दिल्ली         | शक्ति किरण बिल्डिंग  |
| 302 | दिल्ली  | दिल्ली         | शक्ति किरण भवन, सीबीडी-द्वितीय ग्रिड   |
| 303 | दिल्ली  | दिल्ली         | शक्ति किरण बिल्डिंग, माउंटनल सीबीडी ग्रिड  |
| 304 | दिल्ली  | दिल्ली         | कॉर्पोरेट एनेक्सी बिल्डिंग, सीबीडी-III, कड़कड़डूमा   |
| 305 | दिल्ली  | दिल्ली         | प्लग एंड गो, स्वाति एपीटी के पास, नरवाना रोड, पटपड़गंज                                     |
| 306 | दिल्ली  | दिल्ली         | ई-रिक्शा चार्जिंग (929 कनेक्शन की संख्या)  |
| 307 | दिल्ली  | दिल्ली         | ब्लॉक बी, नंबर 57, रामा रोड, मोतीनगर   |
| 308 | दिल्ली  | दिल्ली         | मकान संख्या 16 अतिरिक्त तल भाग भूतल ब्लाक-ए-1 प्रशांत विहार                                |
| 309 | दिल्ली  | दिल्ली         | किंग्सवे कैंप  |
| 310 | दिल्ली  | दिल्ली         | प्लॉट 1ए, 3 जिला केंद्र, सेक्टर-10, रोहिणी   |
| 311 | दिल्ली  | दिल्ली         | रोड नंबर 316, मंगोलपुरी Ph-1 औद्योगिक क्षेत्र  |
| 312 | दिल्ली  | दिल्ली         | हंस सिनेमा के पास, आजादपुर   |
| 313 | दिल्ली  | दिल्ली         | सिविल लाइंस  |
| 314 | हरियाणा | फरीदाबाद       | राज ऑटो सर्विस, एनआईटी, बटमोरह - एचपीसीएल  |
| 315 | हरियाणा | फरीदाबाद       | राज ऑटो सर्विस, एनआईटी, बटमोड़- एचपीसीएल   |
| 316 | हरियाणा | फरीदाबाद       | एचटीसी अरावली गोल्फ कोर्स  |
| 317 | हरियाणा | फरीदाबाद       | संसद शहीद बी एस अदाना  |
| 318 | हरियाणा | गुरुग्राम      | सैनिक फ्लैग स्टेशन, एचपीसीएल पेट्रोल पंप, दिल्ली-जयपुर रोड, बिनोला                         |
| 319 | हरियाणा | गुरुग्राम      | सैनिक फ्लैग स्टेशन, एचपीसीएल पेट्रोल पंप, दिल्ली-जयपुर रोड, बिनोला                         |
| 320 | हरियाणा | गुरुग्राम      | सीता सेवाएं, इंडियनऑयल आरओई  |
| 321 | हरियाणा | गुरुग्राम      | मेट्रो फिलिंग स्टेशन   |
| 322 | हरियाणा | गुरुग्राम      | मैत्री मोटर्स  |
| 323 | हरियाणा | गुरुग्राम      | श्री श्याम पेट्रो केयर   |
| 324 | हरियाणा | गुरुग्राम      | जेआरओ मानेसर-नकद बिक्री  |
| 325 | हरियाणा | गुरुग्राम      | श्री दीप पेट्रो - सेक्टर 52 ए  |
| 326 | हरियाणा | गुरुग्राम      | सीता सर्विस स्टेशन   |
| 327 | हरियाणा | गुरुग्राम      | आकाश ब्रदर्स वजीराबाद, सेक्टर 52   |
| 328 | हरियाणा | गुरुग्राम      | विजय ब्रदर्स शिवाजी नगर, सेक्टर 11   |
| 329 | हरियाणा | गुरुग्राम      | फ्यूल जंक्शन फेज 2, डीएलएफ साइबर सिटी  |
| 330 | हरियाणा | गुरुग्राम      | 24 सेवन फिलिंग स्टेशन  |
| 331 | हरियाणा | गुरुग्राम      | यूनाइटेड पेट्रोलियम  |
| 332 | हरियाणा | गुरुग्राम      | गोल्फ पूर्व गैस स्टेशन   |
| 333 | हरियाणा | गुरुग्राम      | ए एस कहर फ्यूल्स   |
| 334 | हरियाणा | गुरुग्राम      | डीप ब्रदर्स  |
| 335 | हरियाणा | गुरुग्राम      | बंसल पेट्रो बिनोला   |
| 336 | हरियाणा | गुरुग्राम      | सैनिक फिलिंग स्टेशन बिनोला   |
| 337 | हरियाणा | गुरुग्राम      | हिंदुस्तान फ्यूल्स सेक्टर-48   |

|     |              |           |   |
|-----|--------------|-----------|---|
| 338 | हरियाणा      | गुरुग्राम | भोले शंकर फिलिंग स्टेशनगवाल पहाड़ी  |
| 339 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | टाटा एडवांस सिस्टम्स के पास, सेक्टर- 59, नोएडा  |
| 340 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | एचसीएल बिल्डिंग की साइड पार्किंग, सेक्टर -8, नोएडा  |
| 341 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | एफिनिटी सैलून के सामने, सेक्टर- 51, नोएडा   |
| 342 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | केटीडीसी पर्यटन स्वागत केंद्र, षण्मुगम रोड, एर्नाकुलम, मरीन ड्राइव, कोच्चि, केरल-682031       |
| 343 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | कीर्ति मान प्लाजा और एनएमसी अस्पताल सेक्टर 30 नोएडा के बीच                                    |
| 344 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | कीर्ति मान प्लाजा और एनएमसी अस्पताल सेक्टर 30 नोएडा के बीच                                    |
| 345 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 29, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301                                |
| 346 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 29, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301                                |
| 347 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सस्ता सुंदर अस्पताल सेक्टर 58 नोएडा के सामने  |
| 348 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | कीर्ति मान प्लाजा और एनएमसी अस्पताल सेक्टर 30 नोएडा के बीच                                    |
| 349 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 142, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201305   |
| 350 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 15, निठारी, नोएडा, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301, भारत                   |
| 351 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | आरटीओ कार्यालय के पासक्षेत्र 33ए, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201301, भारत                |
| 352 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 29, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301                                |
| 353 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 124 और 125 के बीच की सड़क और स्पेशल सेक्टर रोड के बगल में, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201313 |
| 354 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेंट्रल मार्केट में नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर -50, नोएडा-201301                        |
| 355 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेंट्रल मार्केट में नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर -50, नोएडा-201301                        |
| 356 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेंट्रल मार्केट में नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर -50, नोएडा-201301                        |
| 357 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 61 शॉपप्रिक्स मॉल के सामने, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201305                                |
| 358 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मेट्रो स्टेशन पार्किंग गेट नंबर 2, नोएडा - 201301                          |
| 359 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | एच ब्लॉक मार्केट, हल्दीराम, कार पार्किंग, सेक्टर - 63, नोएडा - 201301                         |
| 360 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-16, नोएडा-201301                       |
| 361 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | मैरी गोल्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के सामने, ए ब्लॉक, सेक्टर-64, नोएडा                            |
| 362 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | हेक्सागोन प्राइवेट लिमिटेड के सामने, सेक्टर-65, नोएडा   |
| 363 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | एच-ब्लॉक मार्केट में नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, हल्दीराम के पास, सेक्टर-63, नोएडा-201301       |
| 364 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | एच-ब्लॉक मार्केट में नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, हल्दीराम के पास, सेक्टर-63, नोएडा-201301       |
| 365 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के पास सेक्टर-63, नोएडा-201301       |
| 366 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के पास सेक्टर-63, नोएडा-201301       |
| 367 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | कीर्ति मान प्लाजा और एनएमसी अस्पताल सेक्टर 30 नोएडा के बीच                                    |
| 368 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | कीर्ति मान प्लाजा और एनएमसी अस्पताल सेक्टर 30 नोएडा के बीच                                    |
| 369 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | आरटीओ कार्यालय के पासक्षेत्र 33ए, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201301, भारत                |
| 370 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | आरटीओ कार्यालय के पासक्षेत्र 33ए, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201301, भारत                |
| 371 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 124 और 125 के बीच की सड़क और स्पेशल सेक्टर रोड के बगल में, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201313 |
| 372 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 124 और 125 के बीच की सड़क और स्पेशल सेक्टर रोड के बगल में, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201313 |
| 373 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 142, एडवांट चौक नोएडा के पास, उत्तर प्रदेश, 201305                                     |
| 374 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 142, एडवांट चौक नोएडा के पास, उत्तर प्रदेश, 201305                                     |
| 375 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 61 शॉपप्रिक्स मॉल के सामने, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201305                                |
| 376 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 61 शॉपप्रिक्स मॉल के सामने, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201305                                |
| 377 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेंट्रल मार्केट में नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर -50, नोएडा-201301                        |
| 378 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेंट्रल मार्केट में नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर -50, नोएडा-201301                        |
| 379 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | सेक्टर 15, निठारी, नोएडा, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301, भारत                   |
| 380 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | चार्ज 1, सेक्टर 2: स्टेट बैंक ऑफ लंदन, नोएडा - यूपी   |
| 381 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | चार्ज 2, सेक्टर 2: स्टेट बैंक ऑफ लंदन, नोएडा - उप   |
| 382 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | चार्ज 1, सेक्टर 3: जी-1 से जी-50, नोएडा -यूपी   |
| 383 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | चार्ज 2, सेक्टर 3: जी-1 से जी-50, नोएडा -यूपी   |
| 384 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | चार्ज 1, सेक्टर 3: एफ-7 से एफ-8, नोएडा अप   |
| 385 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | चार्ज 2, सेक्टर 3: एफ-7 से एफ-8, नोएडा अप   |
| 386 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | चार्ज 1, सेक्टर 6: रिसेप्शन नोएडा अथॉरिटी, नोएडा, यूपी  |
| 387 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | चार्ज 2, सेक्टर 6: रिसेप्शन नोएडा अथॉरिटी, नोएडा, यूपी  |
| 388 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा अथॉरिटी पार्किंग, स्पाइस मॉल प्लॉट एरिया, सेक्टर-25ए, नोएडा-201301                      |
| 389 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा अथॉरिटी पार्किंग, स्पाइस मॉल प्लॉट एरिया, सेक्टर-25ए, नोएडा-201301                      |
| 390 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-16, नोएडा-201301                       |
| 391 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-16, नोएडा-201301                       |
| 392 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, जी-1 से जी-50, सेक्टर-3, नोएडा-201301                               |
| 393 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, एफ-7 से एफ-8, सेक्टर-3, नोएडा-201301                                |
| 394 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा अथॉरिटी पार्किंग, स्पाइस मॉल प्लॉट एरिया, सेक्टर-25ए, नोएडा-201301                      |
| 395 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, ऑप। सी एंड आर टेक्सटाइल्स, सेक्टर -60 नोएडा                         |
| 396 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, बी-14 के पास, सेक्टर 2 नोएडा  |
| 397 | उत्तर प्रदेश | नोएडा     | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, रिसेप्शन नोएडा प्राधिकरण, सेक्टर -6, नोएडा-20301                    |

|     |              |  |   |
|-----|--------------|--|---|
| 398 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, ए-12 के पास, सेक्टर 16, नोएडा, नोएडा जी बी नगर  |
| 399 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-16, नोएडा-201301   |
| 400 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर 62: स्ट्रीट पर, नोएडा-201301, नोएडा जी बी नगर,   |
| 401 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर 62: ऑफ स्ट्रीट, नोएडा-201301, नोएडा जी बी नगर  |
| 402 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | उत्तर प्रदेश - 201301   |
| 403 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर 24: ईएसआई अस्पताल के सामने, नोएडा, नोएडा जी बी नगर   |
| 404 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | उत्तर प्रदेश - 201301   |
| 405 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर 41: सी-98, मार्केट रोड साइड पार्किंग, नोएडा जी बी नगर  |
| 406 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | उत्तर प्रदेश - 201301   |
| 407 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर 41: ग्राम अगहपुर डीएससी रोड, नोएडा जी बी नगर   |
| 408 | उत्तर प्रदेश | नोएडा                                    | उत्तर प्रदेश - 201301   |
| 409 | हरियाणा      | सोनीपत<br>(एनएच-1)                       | नोएडा अथॉरिटी पार्किंग, ए ब्लॉक, सेक्टर-64, मैरी गोल्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के सामने, नोएडा जीबी नगर,<br>उत्तर प्रदेश - 201301 |
| 410 | हरियाणा      | सोनीपत (एनएच-1)                          | नोएडा अथॉरिटी पार्किंग, सेक्टर-65, आई फ्रंट ऑफ हेक्सागोन प्रा. लिमिटेड, नोएडा जी बी नगर                                       |
| 411 | हरियाणा      | करनाल                                    | उत्तर प्रदेश - 201301   |
| 412 | हरियाणा      | करनाल                                    | नोएडा प्राधिकरण पार्किंग, सेक्टर 27: कैम्ब्रिज स्कूल, नोएडा जी बी नगर   |
| 413 | हरियाणा      | पलवल                                     | उत्तर प्रदेश - 201301   |
| 414 | हरियाणा      | पलवल                                     | शहीद मेजर अनुराग, सेक्टर-62   |
| 415 | हरियाणा      | जींद                                     | गर्व ऑटो केयर   |
| 416 | हरियाणा      | करनाल                                    | अम्बे ऑयल कंपनी   |
| 417 | हरियाणा      | पानीपत                                   | बनाम फिलिंग स्टेशन, सराय कोहंड, करनाल (ए)   |
| 418 | हरियाणा      | करनाल                                    | मैसर्स साई सर्विसेज, झांझारी, कुरुक्षेत्र   |
| 419 | हरियाणा      | करनाल                                    | आशीर्वाद  |
| 420 | हरियाणा      | सोनीपत                                   | कोको होडाल  |
| 421 | हरियाणा      | पानीपत                                   | मालवा ऑटोमोबाइलस्टोन जीटी रोड,  |
| 422 | हरियाणा      | पानीपत                                   | बालाजी सर्विस स्टेशनसोनीपत, फेज IV, बरही जिला सोनीपत  |
| 423 | हरियाणा      | पानीपत                                   | कौशल्या पेट्रो जंक्शन समालखा  |
| 424 | हरियाणा      | पानीपत                                   | कोको रामगढ़ कुरुक्षेत्र,  |
| 425 | हरियाणा      | पानीपत                                   | बालाजी फिलिंग स्टेशन  |
| 426 | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद                                | फ्यूल एंड फ्लार्, इंडियन ऑयल डीलर कैला इस्लाम नगर जी.टी. रोड गाजियाबाद  |
| 427 | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद                                | फ्यूल एंड फ्लार्, इंडियन ऑयल डीलर कैला इस्लाम नगर जी.टी. रोड गाजियाबाद  |
| 428 | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद                                | विजय सेल्स एंड सर्विस, गाजियाबाद मॉडल टाउन जी.टी. रोड गाजियाबाद   |
| 429 | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद                                | विजय सेल्स एंड सर्विस, गाजियाबाद मॉडल टाउन जी.टी. रोड गाजियाबाद   |
| 430 | उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा                             | अनिल ऑटो सर्विस (एडहॉक) कोको1, कोको-1प्लॉट नंबर 41 हॉलैंड ट्रेक्टर के पास उद्योग केंद्र - आईओसीएल                             |
| 431 | उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा                             | अनिल ऑटो सर्विस (एडहॉक) कोको1, कोको-1प्लॉट नंबर 41 हॉलैंड ट्रेक्टर के पास उद्योग केंद्र- आईओसीएल                              |
| 432 | उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा                             | जेपी इंफ्राटेक किमी 35, इंडियन ऑयल डीलर गांव सबोटा मुस्तफाबाद किमी स्टोन 35 यमुना एक्सप्रेस-वे पर-<br>आईओसीएल                 |
| 433 | उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा                             | जेपी इंफ्राटेक किमी 35, इंडियन ऑयल डीलर गांव सबोटा मुस्तफाबाद किमी स्टोन 35 यमुना एक्सप्रेस-वे पर-<br>आईओसीएल                 |
| 434 | उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा                             | जेपी इंफ्राटेक किमी 16, इंडियन ऑयल डीलर गांव सबोटा मुस्तफाबाद किमी स्टोन 16 यमुना एक्सप्रेस-वे पर<br>आईओसीएल                  |
| 435 | उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा                             | जेपी इंफ्राटेक किमी 16, इंडियन ऑयल डीलर गांव सबोटा मुस्तफाबाद किमी स्टोन 16 यमुना एक्सप्रेस-वे पर<br>आईओसीएल                  |
| 436 | उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा                             | ई-3, इकोटेक-II, उद्योग विहार, उत्तर प्रदेश 201306 - एनटीपीसी  |
| 437 | उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा                             | कोको I  |
| 438 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध<br>नगर (यमुना<br>एक्सप्रेसवे) | जेपी इंफ्राटेक किमी 35  |
| 439 | उत्तर प्रदेश | गौतम बुद्ध<br>नगर (यमुना<br>एक्सप्रेसवे) | जेपी इंफ्राटेक किमी-16  |
| 440 | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद                                | ईंधन और फ्लार्  |
| 441 | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद                                | विजय सेल्स एंड सर्विस   |
| 442 | उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा                             | कोको III  |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-329

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

उदय के अंतर्गत अनुदान

329. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत महाराष्ट्र राज्य को प्रदत्त विशेष वित्तीय सहायता या अनुदान का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उदय के तहत भाग लेने वाले राज्यों से बिजली के उत्पादन, वितरण, पारेषण आदि जैसे क्षेत्रों में कुछ सुधार करने की उम्मीद है; और
- (ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत भारत सरकार से किसी भी राज्य को विशेष वित्तीय सहायता अथवा अनुदान प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) : उदय की शुरुआत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में दक्षता सुधारों तथा वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉम्स) के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्यापलट के समग्र उद्देश्य से गई थी। इस स्कीम के परिणामस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने सुधार होने की सूचना दी है जिसमें (i) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में वित्तीय वर्ष 16 के 23.70% से वित्तीय वर्ष 2020 में 20.93% की कमी और (ii) औसत आपूर्ति लागत (एसीएस)-औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर में वित्तीय वर्ष 16 के 0.48 रू. प्रति किलोवाट प्रति घंटे से वित्तीय वर्ष 20 में 0.30 रू. प्रति किलोवाट प्रति घंटे की कमी शामिल है। महाराष्ट्र सहित राज्यों की एटी एंड सी हानि और एसीएस-एआरआर अंतर संबंधी कार्य-निष्पादन के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*



लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 329 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

एटी एंड सी हानियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

|                                     | 2015-16      | 2016-17      | 2017-18      | 2018-19      | 2019-20      |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| राज्य क्षेत्र                       | 24.04        | 24.05        | 22.15        | 22.57        | 21.73        |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह        |              |              | 19.34        | 23.39        | 22.71        |
| आंध्र प्रदेश                        | 10.36        | 13.77        | 14.26        | 25.67        | 10.77        |
| अरुणाचल प्रदेश                      | 54.58        | 53.64        | 58.36        | 55.50        | 45.71        |
| असम                                 | 26.02        | 20.11        | 17.64        | 20.14        | 23.37        |
| बिहार                               | 43.30        | 43.34        | 33.51        | 33.30        | 40.38        |
| चंडीगढ़ (गैर उदय संघ राज्य क्षेत्र) |              |              | 4.00         | 4.21         | 4.60         |
| छत्तीसगढ़                           | 22.10        | 23.87        | 22.50        | 29.81        | 23.68        |
| दादरा और नगर हवेली                  |              |              | 6.55         | 5.45         | 3.56         |
| दमन और दीव                          |              |              | 17.01        | 6.19         | 4.07         |
| गोवा                                | 19.77        | 24.33        | 13.52        | 15.69        | 13.99        |
| गुजरात                              | 16.23        | 14.42        | 12.96        | 13.99        | 11.95        |
| हरियाणा                             | 29.27        | 26.42        | 21.78        | 18.08        | 18.19        |
| हिमाचल प्रदेश                       | 9.68         | 11.48        | 11.08        | 12.46        | 11.68        |
| जम्मू और कश्मीर                     | 58.75        | 59.96        | 53.67        | 49.94        | 60.46        |
| झारखंड                              | 33.34        | 35.95        | 32.48        | 28.60        | 36.96        |
| कर्नाटक                             | 17.13        | 16.84        | 15.61        | 19.83        | 17.59        |
| केरल                                | 12.40        | 13.42        | 12.81        | 9.10         | 14.47        |
| लक्षद्वीप                           |              |              | 19.15        | 23.33        | 14.28        |
| मध्य प्रदेश                         | 27.37        | 26.80        | 30.51        | 36.64        | 30.38        |
| महाराष्ट्र                          | 21.74        | 22.84        | 14.38        | 16.23        | 19.92        |
| मणिपुर                              | 31.72        | 33.01        | 27.50        | 38.17        | 20.27        |
| मेघालय                              | 45.98        | 38.81        | 41.19        | 35.22        | 34.32        |
| मिजोरम                              | 35.18        | 24.98        | 22.44        | 16.20        | 20.66        |
| नागालैंड                            | 33.44        | 38.50        | 41.36        | 40.06        | 52.93        |
| ओडिशा (गैर उदय राज्य)               | 38.60        | 37.19        | 33.59        | 31.55        | 28.94        |
| पुदुचेरी                            | 22.43        | 21.34        | 19.19        | 19.77        | 18.45        |
| पंजाब                               | 15.88        | 14.46        | 17.31        | 11.28        | 14.35        |
| राजस्थान                            | 31.59        | 27.33        | 24.07        | 28.25        | 29.85        |
| सिक्किम                             | 43.89        | 35.62        | 32.48        | 41.83        | 28.88        |
| तमिलनाडु                            | 16.83        | 18.23        | 19.47        | 17.86        | 15.00        |
| तेलंगाना                            | 14.01        | 15.19        | 19.08        | 17.80        | 21.54        |
| त्रिपुरा                            | 32.68        | 31.79        | 30.31        | 35.49        | 37.85        |
| उत्तर प्रदेश                        | 39.76        | 40.91        | 37.80        | 33.19        | 30.05        |
| उत्तराखंड                           | 18.01        | 16.68        | 16.34        | 16.96        | 20.35        |
| पश्चिम बंगाल (गैर उदय राज्य)        | 28.08        | 27.83        | 26.69        | 23.00        | 20.40        |
| निजी क्षेत्र                        | 12.44        | 10.80        | 9.36         | 8.28         | 8.00         |
| दिल्ली                              | 12.44        | 10.80        | 9.93         | 9.17         | 8.19         |
| गुजरात                              |              |              | 6.53         | 5.20         | 4.59         |
| महाराष्ट्र                          |              |              |              | 8.20         | 9.52         |
| उत्तर प्रदेश                        |              |              | 9.08         | 9.36         | 9.76         |
| पश्चिम बंगाल                        |              |              | 10.74        | 8.95         | 9.06         |
| <b>कुल जोड़</b>                     | <b>23.70</b> | <b>23.66</b> | <b>21.50</b> | <b>21.74</b> | <b>20.93</b> |

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 329 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

टैरिफ सब्सिडी प्राप्ति आधार पर एसीएस-एआरआर अंतर (रु/केडब्ल्यूएच)

|                                     | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| राज्य क्षेत्र                       | 0.50    | 0.39    | 0.32    | 0.54    | 0.35    |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह        |         |         | 19.86   | 19.47   | 19.58   |
| आंध्र प्रदेश                        | 0.80    | 0.52    | 0.09    | 2.67    | (0.19)  |
| अरुणाचल प्रदेश                      | 0.49    | 3.65    | 4.64    | 4.27    | 4.92    |
| असम                                 | 0.23    | 0.06    | (0.32)  | (0.32)  | (0.36)  |
| बिहार                               | 0.46    | 0.51    | 0.68    | 0.61    | 0.92    |
| चंडीगढ़ (गैर उदय संघ राज्य क्षेत्र) |         |         | (1.64)  | (0.26)  | (0.82)  |
| छत्तीसगढ़                           | (0.01)  | 0.21    | 0.23    | 0.45    | 0.17    |
| दादरा और नगर हवेली                  |         |         | 0.01    | (0.02)  | (0.03)  |
| दमन और दीव                          |         |         | (1.38)  | (0.61)  | (0.30)  |
| गोवा                                | 0.71    | 0.70    | (0.06)  | 0.39    | 0.60    |
| गुजरात                              | (0.02)  | (0.05)  | (0.06)  | (0.02)  | (0.06)  |
| हरियाणा                             | 0.16    | 0.04    | (0.08)  | (0.05)  | (0.06)  |
| हिमाचल प्रदेश                       | (0.31)  | 0.18    | 0.03    | (0.09)  | (0.02)  |
| जम्मू और कश्मीर                     | 3.00    | 2.65    | 1.85    | 1.72    | 2.03    |
| झारखंड                              | 0.93    | 1.39    | 0.16    | 0.58    | 0.87    |
| कर्नाटक                             | 0.01    | 0.29    | 0.30    | 0.24    | 0.39    |
| केरल                                | 0.30    | 0.62    | 0.32    | 0.05    | 0.10    |
| लक्षद्वीप                           |         |         | 19.11   | 20.30   | 18.22   |
| मध्य प्रदेश                         | 0.87    | 0.18    | 0.78    | 1.29    | 0.69    |
| महाराष्ट्र                          | 0.21    | 0.06    | (0.13)  | (0.19)  | (0.19)  |
| मणिपुर                              | 0.02    | 0.06    | (0.02)  | 0.34    | 0.08    |
| मेघालय                              | 0.82    | 1.66    | 1.16    | 0.85    | 1.80    |
| मिजोरम                              | 2.06    | 2.12    | (1.30)  | 1.18    | (1.94)  |
| नागालैंड                            | 0.20    | 0.81    | 0.81    | 4.09    | 5.62    |
| ओडिशा (गैर उदय राज्य)               | 0.39    | 0.38    | 0.32    | 0.60    | 0.34    |
| पुदुचेरी                            | (0.02)  | 0.03    | (0.02)  | 0.13    | 0.97    |
| पंजाब                               | 0.53    | 0.65    | 0.48    | (0.07)  | 0.17    |
| राजस्थान                            | 1.83    | 0.50    | (0.09)  | 0.06    | 0.31    |
| सिक्किम                             | 2.09    | 1.20    | 0.25    | 0.02    | 0.54    |
| तमिलनाडु                            | 0.67    | 0.50    | 0.89    | 1.32    | 1.27    |
| तेलंगाना                            | 0.74    | 1.23    | 1.12    | 1.38    | 1.09    |
| त्रिपुरा                            | 0.42    | (0.15)  | (0.09)  | (0.06)  | 0.43    |
| उत्तर प्रदेश                        | 0.29    | 0.33    | 0.45    | 0.54    | 0.34    |
| उत्तराखंड                           | 0.10    | 0.24    | 0.18    | 0.38    | 0.38    |
| पश्चिम बंगाल (गैर उदय राज्य)        | (0.04)  | 0.04    | (0.02)  | (0.01)  | (0.12)  |
| निजी क्षेत्र                        | (0.10)  | (0.16)  | (0.44)  | (0.38)  | (0.48)  |
| दिल्ली                              | (0.10)  | (0.16)  | (0.19)  | (0.26)  | (0.37)  |
| गुजरात                              |         |         | (0.50)  | (0.26)  | (0.52)  |
| महाराष्ट्र                          |         |         |         | (0.15)  | (0.22)  |
| उत्तर प्रदेश                        |         |         | (1.34)  | (0.97)  | (0.69)  |
| पश्चिम बंगाल                        |         |         | (0.93)  | (0.99)  | (0.94)  |
| कुल जोड़                            | 0.48    | 0.37    | 0.28    | 0.49    | 0.30    |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-336

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

ऊर्जा संपरीक्षा

336. श्री हिबी ईडन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का व्यक्तियों और निगमों के निजी स्वामित्व वाले भवन में ऊर्जा संरक्षण के लिए विद्युत ऊर्जा-प्रवाह का निरीक्षण, सर्वेक्षण और विश्लेषण करने के उद्देश्य से ऊर्जा संपरीक्षा नियम बनाने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा विद्युत ऊर्जा खपत की संपरीक्षा के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित/बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या किसी प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक द्वारा विद्युत ऊर्जा संपरीक्षा करने में कई बाधाएं आती हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 15(ख) और (ग) के अनुसार, राज्य सरकारों को भवन स्वामियों को किसी मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी रीति में और समय अंतराल (अंतरालों) पर लेखापरीक्षा कराने के लिए निदेशित करने का अधिकार है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने सूचित किया है कि 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु ने कुछ श्रेणी के वाणिज्यिक भवनों की ऊर्जा लेखापरीक्षा कराना अनिवार्य कर दिया है।

(ग) : विद्युत वितरण कंपनियों को आवधिक उधार पर ऊर्जा लेखापरीक्षा और लेखांकन कराने के लिए अनिवार्य करने हेतु, विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखापरीक्षा के संचालन की रीति और अंतराल), विनियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक ऊर्जा लेखापरीक्षा संचालित करेगी और ब्यूरो तथा संबंधित राज्य नामित एजेंसी को वार्षिक ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 4 माह के भीतर इसे विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने जुलाई, 2021 में "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) -सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध स्कीम" शुरू की जिसमें संचार सुविधा युक्त प्रणाली मीटरिंग के साथ 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान हैं, जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के ऊर्जा लेखांकन के साथ-साथ लेखापरीक्षा के लिए प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह के स्वचालित माप की सुविधा प्रदान करेंगे।

(घ) और (ङ) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने सूचित किया है कि किसी मान्यता-प्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक द्वारा विद्युतीय ऊर्जा लेखापरीक्षा संचालित कराने में कोई बाधा नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-356

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से विनिर्माण और  
उपयोग (फेम) योजना के तहत लक्ष्यों की स्थिति

356. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों के तहत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विनिर्माण और उपयोग (फेम) योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति और उक्त दिशानिर्देशों के तहत उनके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर के सभी महानगरों में हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्ष्यों का विभाजन और उनकी वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम बनाई है। इस स्कीम के चरण-I के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने 520 ईवी चार्जिंग स्टेशनों को संस्वीकृति प्रदान की है और दिनांक 07 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 461 ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू और प्रचालनाधीन हैं। इनके ब्यौरे अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता के साथ 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह चरण सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है और सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलरों, 55000 ई-4 व्हीलर पैसेंजर कारों और 10 लाख ई-2 व्हीलरों को सहायता देने का लक्ष्य है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज की चिंता को दूर करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण हेतु भी सहायता दी जाती है।

विद्युत मंत्रालय ने "इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग अवसंरचना के लिए दिशानिर्देश और मानक" जारी किए, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया। फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय ने अनुबंध-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, 25 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 चार्जिंग स्टेशन और 9 एक्सप्रेसवे तथा 16 राजमार्गों के किनारे लगाने के लिए 1576 चार्जिंग स्टेशन संस्वीकृत किए हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 356 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**फेम इंडिया स्कीम के चरण-1 के अंतर्गत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के ब्यौरे**

| शहर        | चार्जिंग स्टेशन | राजमार्ग          | चार्जिंग स्टेशन |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| चंडीगढ़    | 48              | दिल्ली -चंडीगढ़   | 24              |
| दिल्ली     | 94              | मुंबई-पुणे        | 16              |
| जयपुर      | 49              | दिल्ली-जयपुर-आगरा | 31              |
| बेंगलुरु   | 50              | जयपुर-दिल्ली      | 9               |
| रांची      | 29              |                   |                 |
| लखनऊ       | 1               |                   |                 |
| गोवा       | 30              |                   |                 |
| हैदराबाद   | 56              |                   |                 |
| आगरा       | 15              |                   |                 |
| शिमला      | 9               |                   |                 |
| <b>कुल</b> | <b>381</b>      |                   | <b>80</b>       |

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 356 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के ब्यौरे

| राज्य                            | संस्वीकृत ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या |
|----------------------------------|---|
| महाराष्ट्र                       | 317                                       |
| आंध्र प्रदेश                     | 266                                       |
| तमिलनाडु                         | 281                                       |
| गुजरात                           | 278                                       |
| उत्तर प्रदेश                     | 207                                       |
| राजस्थान                         | 205                                       |
| कर्नाटक                          | 172                                       |
| मध्य प्रदेश                      | 235                                       |
| पश्चिम बंगाल                     | 141                                       |
| तेलंगाना                         | 138                                       |
| केरल                             | 211                                       |
| दिल्ली                           | 72  |
| चंडीगढ़                          | 70  |
| हरियाणा                          | 50  |
| मेघालय                           | 40  |
| बिहार                            | 37  |
| सिक्किम                          | 29  |
| जम्मू और कश्मीर                  | 25  |
| छत्तीसगढ़                        | 25  |
| असम                              | 20  |
| ओडिशा                            | 18  |
| उत्तराखंड                        | 10  |
| पुदुचेरी                         | 10  |
| अंडमान और निकोबार (पोर्ट ब्लेयर) | 10  |
| हिमाचल प्रदेश                    | 10  |
| <b>कुल</b>                       | <b>2877</b>                               |

| क्रम संख्या | एक्सप्रेस-वे | संस्वीकृत ईवी चार्जिंग स्टेशन |
|-------------|--------------|-------------------------------|
|-------------|--------------|-------------------------------|

|                    |                      |                                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1                  | मुंबई - पुणे         | 10                                   |
| 2                  | अहमदाबाद - वडोदरा    | 10                                   |
| 3                  | दिल्ली आगरा यमुना    | 20                                   |
| 4                  | बेंगलुरु मैसूर       | 14                                   |
| 5                  | बेंगलुरु-चेन्नई      | 30                                   |
| 6                  | सूरत-मुंबई           | 30                                   |
| 7                  | आगरा-लखनऊ            | 40                                   |
| 8                  | ईस्टर्न पेरिफेरल (ए) | 14                                   |
| 9                  | हैदराबाद ओआरआर       | 16                                   |
| <b>क्रम संख्या</b> | <b>राजमार्ग</b>      | <b>संस्वीकृत ईवी चार्जिंग स्टेशन</b> |
| 1                  | दिल्ली - श्रीनगर     | 80                                   |
| 2                  | दिल्ली - कोलकाता     | 160                                  |
| 3                  | आगरा - नागपुर        | 80                                   |
| 4                  | मेरठ से गंगोत्री धाम | 44                                   |
| 5                  | मुंबई - दिल्ली       | 124                                  |
| 6                  | मुंबई-पणजी           | 60                                   |
| 7                  | मुंबई - नागपुर       | 70                                   |
| 8                  | मुंबई - बेंगलुरु     | 100                                  |
| 9                  | कोलकाता - भुवनेश्वर  | 44                                   |
| 10                 | कोलकाता - नागपुर     | 120                                  |
| 11                 | कोलकाता - गंगटोक     | 76                                   |
| 12                 | चेन्नई-भुवनेश्वर     | 120                                  |
| 13                 | चेन्नई - त्रिवेंद्रम | 74                                   |
| 14                 | चेन्नई-बैल्लारी      | 62                                   |
| 15                 | चेन्नई - नागपुर      | 114                                  |
| 16                 | मंगलदाई - वाकरो      | 64                                   |
|                    | <b>कुल</b>           | <b>1576</b>                          |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-360

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) उपकरण का अधिष्ठापन

360. श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि:

डॉ. डी. रविकुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उन कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिनमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) उपकरण लगे हैं;
- (ख) देश भर में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी उपकरणों को लागू करने और अधिष्ठापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने विभिन्न ताप संयंत्रों में एफजीडी की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) तमिलनाडु सहित सरकारों द्वारा ऐसे उपकरण और बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए आवंटित धन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज़) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अधिसूचित, सल्फर डाइऑक्साइड (SO<sub>2</sub>) उत्सर्जन मानकों सहित उत्सर्जन मानकों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) की संस्थापना करना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सल्फर डाइऑक्साइड मानकों का अनुपालन करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकियों में से एक है। एफजीडी उपकरण युक्त कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.03.2021 को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, नए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने



के लिए, जो निम्नानुसार है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और सीपीसीबी के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया है।

| श्रेणी और विवरण   | अनुपालन के लिए समय-सीमा | समय सीमा के पश्चात गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति (रुपये प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत) |             |                      |
|---|-------------------------|---|-------------|----------------------|
|   |                         | 0-180 दिन   | 181-365 दिन | 366 दिन और उससे अधिक |
| श्रेणी क -राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 10 किमी की सीमा के अंदर या भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर। | 31.12.2022 तक           | 0.10  | 0.15        | 0.20                 |
| श्रेणी ख- सीपीसीबी द्वारा परिभाषित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किमी की सीमा के अंदर या गैर-प्राप्ति शहर।                              | 31.12.2023 तक           | 0.07  | 0.10        | 0.15                 |
| श्रेणी ग- श्रेणी क और ख में शामिल के अलावा।   | 31.12.2024 तक           | 0.05  | 0.075       | 0.10                 |

कार्यबल द्वारा उक्त वर्णित वर्गीकरण को दिनांक 13.12.2021 को अंतिम रूप दिया गया है।

(ड) : सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एफजीडी की संस्थापना के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की है। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नए पर्यावरण मानकों के कार्यान्वयन के कारण ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा व्यय की गई अतिरिक्त पूंजी और प्रचालनात्मक लागत के पास-थ्रू को अनुमति देने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) को निदेश जारी किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 30.07.2021 के पत्र के माध्यम से सीईआरसी को आवश्यक निदेश जारी किए हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना में यथाउल्लिखित समय तक कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के लिए नए पर्यावरणीय मानकों के कार्यान्वयन में व्यय की गई प्रचालनात्मक लागत के प्रभाव पर विचार न किया जाए।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 360 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

| कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा जहां एफजीडी संस्थापित किया गया है |              |          |                 |                              |           |                      |
|--|--------------|----------|-----------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| क्रम सं.   | राज्य        | क्षेत्र  | संगठन           | परियोजना का नाम              | यूनिट सं. | कुल क्षमता (मेगावाट) |
| 1  | हरियाणा      | निजी     | जेएचपीएल (एचआर) | महात्मा गांधी टीपीएस         | 1         | 660.00               |
| 2  | हरियाणा      | निजी     | जेएचपीएल (एचआर) | महात्मा गांधी टीपीएस         | 2         | 660.00               |
| 3  | उत्तर प्रदेश | केंद्रीय | एनटीपीसी        | दादरी (एनसीटीपीपी)           | 1         | 210.00               |
| 4  | उत्तर प्रदेश | केंद्रीय | एनटीपीसी        | दादरी (एनसीटीपीपी)           | 2         | 210.00               |
| 5  | उत्तर प्रदेश | केंद्रीय | एनटीपीसी        | दादरी (एनसीटीपीपी)           | 3         | 210.00               |
| 6  | उत्तर प्रदेश | केंद्रीय | एनटीपीसी        | दादरी (एनसीटीपीपी)           | 4         | 210.00               |
| 7  | तमिलनाडु     | निजी     | आईटीपीसीएल      | आईटीपीसीएल टीपीपी            | 1         | 600.00               |
| 8  | तमिलनाडु     | निजी     | आईटीपीसीएल      | आईटीपीसीएल टीपीपी            | 2         | 600.00               |
| 9  | गुजरात       | निजी     | एपीएल           | मुंद्रा टीपीएस               | 7         | 660.00               |
| 10   | गुजरात       | निजी     | एपीएल           | मुंद्रा टीपीएस               | 8         | 660.00               |
| 11   | गुजरात       | निजी     | एपीएल           | मुंद्रा टीपीएस               | 9         | 660.00               |
| 12   | मध्य प्रदेश  | केंद्रीय | एनटीपीसी        | विंध्याचल एसटीपीएस           | 13        | 500.00               |
| 13   | महाराष्ट्र   | निजी     | जेएसडब्ल्यूईएल  | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी | 1         | 300.00               |
| 14   | महाराष्ट्र   | निजी     | जेएसडब्ल्यूईएल  | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी | 2         | 300.00               |
| 15   | महाराष्ट्र   | निजी     | जेएसडब्ल्यूईएल  | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी | 3         | 300.00               |
| 16   | महाराष्ट्र   | निजी     | जेएसडब्ल्यूईएल  | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी | 4         | 300.00               |
| 17   | महाराष्ट्र   | निजी     | आरआईएल (दहानु)  | दहानु टीपीएस                 | 1         | 250.00               |
| 18   | महाराष्ट्र   | निजी     | आरआईएल (दहानु)  | दहानु टीपीएस                 | 2         | 250.00               |
| 19   | महाराष्ट्र   | निजी     | टाटा पीसीएल     | ट्रॉम्बे टीपीएस              | 5         | 500.00               |
| 20   | महाराष्ट्र   | निजी     | टाटा पीसीएल     | ट्रॉम्बे टीपीएस              | 8         | 250.00               |
|  |              |          |                 | <b>कुल इकाइयाँ और क्षमता</b> | <b>20</b> | <b>8290.00</b>       |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-366

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

सौभाग्य के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

366. श्री नलीन कुमार कटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के उद्देश्यों तथा मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सौभाग्य के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इसके लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी निधि आवंटित तथा खर्च की गई?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : जी हाँ, भारत सरकार ने सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का शुभारंभ किया। इस स्कीम का उद्देश्य मार्च, 2019 तक देश में शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों को ग्रिड पहुँच अथवा सौर आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली के माध्यम से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों ने सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। इसके बाद, सात राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ने यह सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिह्नित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर, जो पहले अनिच्छुक थे किंतु बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार, इन सभी सात राज्यों ने तब से 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से, दिनांक 31.03.2021 तक कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(घ) : सौभाग्य के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान संवितरित निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 03.02.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 366 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सौभाग्य के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार अनुदान का संवितरण/व्यय

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं. | राज्यों के नाम  | सौभाग्य के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान |              |              |  |                |                                    |
|----------|-----------------|---|--------------|--------------|--|----------------|------------------------------------|
|          |                 | 2018-19   | 2019-20      | 2020-21      | 2021-22<br>(30.11.2021 तक की स्थिति के अनुसार) | कुल            | राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियां |
| 1        | अरुणाचल प्रदेश  | 138.9   | 13.8         | -            | -  | 152.7          | 152.7                              |
| 2        | असम             | 402.7   | 120.9        | 118.5        | -  | 642.1          | 642.1                              |
| 3        | बिहार           | 198.8   | 136.3        | 17.1         | -  | 352.1          | 352.1                              |
| 4        | छत्तीसगढ़       | 219.0   | 32.0         | 42.1         | 38.1   | 331.2          | 294.0                              |
| 5        | हरियाणा         | -   | 3.0          | -            | -  | 3.0            | 3.0                                |
| 6        | हिमाचल प्रदेश   | 0.8   | 2.9          | -            | -  | 3.7            | 3.7                                |
| 7        | जम्मू और कश्मीर | 45.0  | -            | -            | -  | 45.0           | 24.9                               |
| 8        | झारखंड          | 82.7  | 4.3          | 59.9         | 28.3   | 175.2          | 175.2                              |
| 9        | कर्नाटक         | -   | 39.5         | -            | 0.1  | 39.7           | 38.2                               |
| 10       | केरल            | -   | 26.1         | 13.3         | 11.7   | 51.1           | 51.1                               |
| 11       | लद्दाख          | 6.4   | -            | -            | -  | 6.4            | - 1.1                              |
| 12       | मध्य प्रदेश     | 147.1   | -            | 6.3          | 88.6   | 242.0          | 242.0                              |
| 13       | महाराष्ट्र      | 139.6   | 43.4         | -            | 19.1   | 202.0          | 172.7                              |
| 14       | मणिपुर          | 34.9  | 33.0         | 12.1         | -  | 80.0           | 80.0                               |
| 15       | मेघालय          | 97.8  | 87.8         | 1.4          | -  | 187.0          | 187.0                              |
| 16       | मिजोरम          | 34.6  | -            | 6.0          | 0.2  | 40.8           | 40.8                               |
| 17       | नागालैंड        | 34.3  | -            | -            | 9.1  | 43.4           | 43.4                               |
| 18       | ओडिशा           | 168.4   | -            | -            | -  | 168.4          | 168.4                              |
| 19       | पंजाब           | -   | -            | 0.4          | 0.2  | 0.6            | 0.6                                |
| 20       | राजस्थान        | 102.9   | 76.4         | 101.0        | 25.9   | 306.3          | 306.3                              |
| 21       | सिक्किम         | -   | 0.5          | 1.1          | 0.2  | 1.9            | 1.9                                |
| 22       | तेलंगाना        | -   | 15.4         | -            | 1.4  | 16.8           | 16.8                               |
| 23       | त्रिपुरा        | 236.7   | 8.1          | 0.3          | 14.7   | 259.8          | 259.8                              |
| 24       | उत्तर प्रदेश    | 522.6   | 25.8         | 52.3         | 116.6  | 717.3          | 697.1                              |
| 25       | उत्तराखंड       | 22.4  | 6.8          | 0.5          | -  | 29.8           | 29.8                               |
| 26       | पश्चिम बंगाल    | 73.2  | 20.3         | 15.9         | 13.4   | 122.8          | 122.8                              |
|          | <b>कुल</b>      | <b>2,708.8</b>  | <b>696.3</b> | <b>448.1</b> | <b>367.9</b>                                   | <b>4,221.1</b> | <b>4,105.4</b>                     |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-400

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

सोलापुर में ताप विद्युत संयंत्र

400. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित एनटीपीसी के ताप विद्युत स्टेशन की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है;
- (ख) क्या उक्त विद्युत स्टेशन सीमेंट उद्योग को फ्लाइं एश/ऐश पॉन्ड उपलब्ध करा रहा है;
- (ग) यदि हां, तो इसे कब से उपलब्ध कराया जा रहा है और इसका आधार तथा कीमत क्या है;
- (घ) क्या सरकार का गेहूं उत्पादकों को निःशुल्क पावर ऐश पॉन्ड की हिस्सेदारी प्रदान करके छोटे व्यापारियों की मदद करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार को ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा निःशुल्क पावर ऐश पॉन्ड की हिस्सेदारी प्रदान करने के बारे में गेहूं व्यापारियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई तत्काल कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
- (छ) क्या एनटीपीसी, सोलापुर ने अपने ऐश पॉन्ड की हिस्सेदारी सीमेंट उद्योग को बेचने का निर्णय लिया है; और
- (ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस निविदा को रोकने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : एनटीपीसी के ताप विद्युत स्टेशन, सोलापुर, महाराष्ट्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट (एमडब्ल्यू) है।

**(ख) और (ग) :** एनटीपीसी, सोलापुर उन सभी ऐश उपयोगकर्ताओं को फ्लाइ ऐश/पॉन्ड ऐश उपलब्ध करा रहा है, जिन्होंने मैसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसीएल) द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से की गई नीलामी में भाग लिया और सफल रहे।

एनटीपीसी, सोलापुर से सीमेंट उद्योग को जारी की जा रही फ्लाइ ऐश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. मैसर्स एमएसटीसी लि. द्वारा दिनांक 08.11.2017 से 13.11.2018 तक 320 रुपये प्रति मीट्रिक टन (एमटी) की दर पर नीलामी की गई।
2. मैसर्स एमएसटीसी लि. द्वारा दिनांक 14.11.2018 से अब तक 440 रुपये प्रति मीट्रिक टन (एमटी) की दर पर नीलामी की गई।

**(घ) से (च) :** विद्युत मंत्रालय को गेहूँ व्यापारियों की ओर से ताप विद्युत स्टेशन द्वारा पान्ड ऐश का हिस्सा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज़) द्वारा फ्लाइ ऐश के उपयोग को नियंत्रित करता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 के अनुसार गेहूँ व्यापारी/उत्पादकों के लिए किसी विशेष व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है।

एक विद्युत संयंत्र की स्थापना करना लाइसेंसरहित गतिविधि है और ताप विद्युत संयंत्र अपने ताप विद्युत संयंत्रों को व्यवहार्य तरीके से संचालित करने और विद्युत की लागत को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए स्वयं तकनीकी-वाणिज्यिक निर्णय लेते हैं। फ्लाइ ऐश की मांग बढ़ रही है। फ्लाइ ऐश के आवंटन में पारदर्शिता लाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 22.09.2021 के पत्र द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को सलाह दी है कि वे उपयोगकर्ता एजेंसियों को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से फ्लाइ ऐश की बिक्री करने पर विचार करें, ताकि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत के टैरिफ को कम किया जा सके।

**(छ) और (ज) :** एनटीपीसी, सोलापुर ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22.09.2021 के परामर्श के अनुसार, मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से दिनांक 27.10.2021 को सभी फ्लाइ ऐश उपयोगकर्ताओं के लिए बोली आयोजित की। इसलिए, इस निविदा को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-408

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

कोयला आपूर्ति में कमी

408. डॉ. थोल तिरुमावलवनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत उत्पादन इकाइयों को कोयले की आपूर्ति में कोई कमी या संभावित कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या आपूर्ति में उक्त कमी या संभावित कमी घरेलू उत्पादन में संकट या कोयले के आयात या दोनों के कारण है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह के संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा विद्युत क्षेत्र को अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान प्रेषित कोयले की कुल मात्रा विगत वर्ष की सदृश अवधि के दौरान लगभग 344.2 एमटी की तुलना में लगभग 430.6 मिलियन टन (एमटी) था तथा वर्ष 2019-20 की उसी अवधि के दौरान लगभग 375.2 एमटी था, जो विगत वर्ष के संबंध में लगभग 25 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 के संबंध में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा है। इसके अतिरिक्त, कोयले का आयात वर्ष 2020-21 में उसी अवधि के दौरान 35.1 एमटी की तुलना में वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 21.4 एमटी तक घट गया है। आयातित कोयले में कमी को घरेलू कोयले से आपूर्ति द्वारा संपूरित किया गया है। इस समय देश में विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की कोई कमी नहीं है।

(घ) : सरकार ने विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति के मुद्दों का समाधान करने के लिए, विद्युत, कोयला, रेल मंत्रालयों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों को मिलाकर बना अंतर-मंत्रालयी उप समूह ताप

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की गंभीर स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए नियमित बैठकें करता है।

- (ii) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने टीपीपीज़ में कोयले के भंडारों की गहन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, रेलवे, सीईए, सीआईएल, एनटीपीसी, डीवीसी और पोसोको के सदस्यों के साथ एक कोर प्रबंधन दल (सीएमटी) का गठन किया है और टीपीपी को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सीएमटी पर प्रचालन संबंधी निर्णय लिए जा रहे हैं।
- (iii) सरकार ने संशोधित कोयला भंडारण मानदंड जारी किए हैं जो विद्युत संयंत्रों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर समय पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अधिदेशित करते हैं।
- (iv) विद्युत यूटिलिटियां अपनी आवश्यकता के साथ-साथ लागत-आर्थिक व्यवस्था पर विचार करते हुए कोयले का आयात करती हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों को दिनांक 07.12.2021 को वर्ष 2022-23 के दौरान ब्लैंडिंग कार्य हेतु अपेक्षित कोयले का आयात करने की सलाह दी है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, विद्युत संयंत्रों के पास उपलब्ध कोयले का भंडार दिनांक 08.10.2021 तक की स्थिति के अनुसार 7.2 एमटी से बढ़कर दिनांक 26.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 25 एमटी हो गया है।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-425

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण के दौरान विद्युत की हानि

425. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारेषण और वितरण के दौरान बिजली की हानि से बिजली की लागत में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया के दौरान बिजली के नुकसान की मात्रा और प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या देश में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पारेषण और वितरण हानियां विद्युत नेटवर्क में ऊष्मा हानियाँ और बिलिंग अक्षमताओं सहित अनेक कारणों से इलेक्ट्रिकल नेटवर्कों में होने वाली हानियां हैं। विद्युत उत्पादन की लागत उत्पादन के प्रकार, पूंजीगत लागत, वित्त लागत, ईंधन की लागत, प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागतें और कर्मचारी एवं प्रशासनिक लागतों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित 'विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वितरण यूटिलिटियों को विद्युत की लागत, वर्ष 2017-18 में 4.21 रुपए/किलोवाट प्रति घंटा से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 4.73 रुपए/किलोवाट प्रति घंटा हो गई जबकि उस समय में, सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां 21.50% से घटकर 20.93% हो गई।

(ग) से (ङ) : सरकार केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) और विभिन्न अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के माध्यम से भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा दे रही है।

सरकार ने हाल ही में 112 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सीपीआरआई के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाले विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास स्कीम जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

इसके अतिरिक्त, आर एंड डी के महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों, जिन्हें "आर एंड डी" स्कीमों के तहत लागू किया जाना है, की पहचान करने और इन्हें प्राथमिकता देने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्युत क्षेत्र में आर एंड डी संबंधी स्थायी समिति (एससीआरडी) का गठन किया गया है। एससीआरडी विद्युत क्षेत्र के विविध क्षेत्रों में अग्रणी शोधकर्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों की पहचान करती है और उन्हें अनुसंधान संबंधी स्कीमों में शामिल करती है।

आर एंड डी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और आर एंड डी परियोजनाओं के सफल समापन तक निगरानी रखने में एससीआरडी की सहायता के लिए, विद्युत के विशिष्ट क्षेत्रों नामतः ताप विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, पारेषण और ग्रिड, वितरण और ऊर्जा संरक्षण में, तकनीकी समितियों का गठन भी किया गया है। इन समितियों में शैक्षणिक, उद्योग, यूटिलिटियों और नीति बनाने वाले निकायों का प्रतिनिधित्व होता है।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी मेघालय, एनआईटी सिलचर, सीएमईटी त्रिशूर, सीपीआरआई से अनुसंधान परियोजनाओं को उत्पादन, पारेषण, वितरण, स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सहयोग दिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-431

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

पंपड भंडारण परियोजनाएं

431. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा पंपड भंडारण परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों को कितनी निधि स्वीकृत और वितरित की गई है;
- (ख) क्या उपरोक्त निजी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही पंपड स्टोरेज परियोजना प्रौद्योगिकी कहीं और सफल सिद्ध हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यह मानते हुए कि प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहीं और सफल सिद्ध नहीं हुई है, प्रवर्तकों से उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी प्रतिभूतियां मांगी गई हैं;
- (घ) उक्त परियोजनाओं के लिए ऋण-इक्विटी अनुपात कितना है;
- (ङ) इसमें शामिल उधार लेने वाली कंपनियों की वित्तीय पृष्ठभूमि, उनकी शक्ति और अनुभव कितना है; और
- (च) उक्त परियोजनाओं की जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रगति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पीएफसी ने ग्रीनको एपी01आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को 5429 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। तथापि, पीएफसी ने परियोजना के लिए अभी तक कोई धनराशि संवितरित नहीं की है, क्योंकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से अंतिम स्वीकृति और चरण-II के लिए आंशिक वन स्वीकृति सहित कुछ स्वीकृतियां अभी प्राप्त होनी शेष हैं और भूमि का पूर्ण अधिग्रहण अभी भी शेष है।

(ख) और (ग) : कई प्रचालनात्मक पम्पड स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) नामतः पश्चिम बंगाल में पुरुलिया पीएसपी (900 मेगावाट), तेलंगाना में श्रीसायलम पीएसपी (900 मेगावाट), तेलंगाना में एनजे सागर पीएसपी (706.5 मेगावाट) और तमिलनाडु में कदमपराई पीएसपी (400 मेगावाट) आदि सहित भारत में पम्पड स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) प्रौद्योगिकी पहले से ही विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, सीईए द्वारा पीएसपी को इस क्षेत्र

में उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर विचार करते हुए और डीपीआर की जांच करने के बाद विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अंतर्गत सहमति दी जाती है। वर्तमान परियोजना के लिए, सुरक्षा शर्तों में सभी चल एवं अचल परिसंपत्तियों पर प्रथम धारक प्रभार, 100% शेयरों को बंधक रखना शामिल है जिन्हें कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति और पीएफसी ऋण के चालू रहते ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट गारंटी और परियोजना के पूरे होने की तिथि से 3 वर्ष तक ग्रीनको मॉरिशस की कॉर्पोरेट गारंटी के आधार पर यथाक्रम जारी किया जाएगा।

(घ) : परियोजना का ऋण:इक्विटी अनुपात 72:28 है।

(ङ) : यह परियोजना ग्रीनको ग्रुप द्वारा अपनी भारतीय होल्डिंग कंपनी ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (जीईपीएल) के माध्यम से संवर्धित की गई है जो अंततः ग्रीनको एनर्जी होल्डिंग (जीईएच) द्वारा धारित है।

जीईएच की अधिकांश शेयर होल्डिंग पूर्व में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (जीआईसी) के रूप में ज्ञात, जीआईसी प्राइवेट लिमिटेड (-56%), अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) (-14%), ऑरिक्स (-22%) की हैं और शेष ग्रुप कंपनियों के माध्यम से ग्रुप संस्थापक श्री महेश कोल्ली और श्री अनिल कुमार चलमलशेट्टी (-9%) द्वारा धारित है।

ग्रीनको ग्रुप की वर्तमान प्रचालनात्मक क्षमता ~5.3 गीगावाट है जो सौर (28.71%), पवन (58.94%), हाइड्रल (10.89%) और बायोमास ऊर्जा (1.46%) परियोजनाओं में विस्तारित है। ग्रीनको का 1.2 गीगावाट तीस्ता जल विद्युत परियोजना में ~30% का अतिरिक्त निवेश भी है और शेष बचे अधिकांश स्टैक सिविकम सरकार के पास है। परियोजना के लिए प्रमोटर कंपनी (जीईपीएल) को क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा ए+ रेटिंग दी गई है।

(च) : परियोजना का लगभग 21% कार्य पूरा हो चुका है। पावर हाउस और पेनस्टॉक का कार्य किया जा रहा है। सीईए ने टीईसी (तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति) के लंबित रहते विकासकर्ता की लागत एवं जोखिम पर निर्माण की अनुमति दी है

\*\*\*\*\*